कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीग

क्रमांक /सहा/ 2025/ **दिनांकः— हस्ताक्षर दिनांक**

श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव
आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग
जयपुर

विषयः— जिला आपदा प्रबंधन योजना 2025 की सूचना भिजवाने बाबत्।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि जिले की जिला आपदा प्रबंधन योजना 2025 तैयार कर सादर प्रेषित करें।

संलग्नः— उपर्युक्तानुसार

प्रभारी अधिकारी,आपदा
प्रबंधन एवं सहायता
कलै.डीग

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Singh
Designation : Additional Collector
And Additional District Magistrate
Date: 2025.06.13 18:12:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15919603

District Disaster Management Plan 2025

District Deeg

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Singh
Designation : Additional Collector
And Additional District Magistrate
Date: 2025.06.13 18:12:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15919603

प्रस्तावना

डीग जिला समय समय पर विभिन्न आपदाओ से ग्रस्त रहा है। भौगोलिक रूप से जिले की भू आकृति कटोरेनुमा है तथा वर्षा होने पर पानी का सही ढंग से निकास नहीं हो पाता है तथा पानी निचले क्षेत्रो में भर जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग जिले को इस राज्य व अन्य राज्य के जिलो को जोडने के कारण भारी मात्रा में यातायात रहता है, जिसके कारण सडक दुर्घटनाऐ होती है। यह जिला भूकम्प के लिए भी संवेदनशील है।

इस कंटीजेन्सी प्लान में सामान्य रूप से होने वाली आपदाओ की पहचान करने के साथ ही बाढ आपदा आने से पूर्व की तैयारियॉ, आपदा के घटित होने के दौरान की कार्यवाहियों में प्राथमिक आधार पर की जाने वाली कार्यवाहियो का निर्धारण व कार्यो का बंटवारा सरकार व जनता के पास उपलब्ध संसाधन जिनका उस समय लोगों की जानमाल की रक्षा के लिए उपयोग किया सके संकलित किया गया है।

1कार्य योजना की आवश्यकता

आपदा प्रबंधन एवं विभिन्न प्रकार की आपदाओ का विश्लेषण कर उनके बचाव व दुघर्टना के होने वाले प्रभाव को कम करने तथा दुघर्टना घटित हो जाने पर खतरे के प्रभाव को कम कर जन माल की क्षति से निपटने के लिए पूर्व तैयारी करना।

कार्ययोजना के उद्देश्य

- जिले में विभिन्न आपदाओ के दुष्प्रभावों का विश्लेषण कर पूर्व तैयारी अनुसार जान माल की क्षति को कम करना।
- समाज में प्रशासन के प्रति विश्वास पैदा कर सामुदायिक सहभागिता, प्रशासन के सहयोग के साथ क्षमता बढाना।
- आपदा नियंत्रण में मूलभूत संसाधन के स्तर का पता लगाकर कार्यप्रणाली को चुस्त दुरूस्त रखना।
- आपदा न्यूनीकरण के विभिन्न पहलुओ का क्षेत्र विशेष की आवश्यकता को ध्यान मे रखते हुए विकास योजना में समावेश करना।
- राज्य सरकार की नीतिगत रूपरेखा के अनुसार जिला आपदा प्रबंधन नियोजन को प्रभावी प्रबंधन यत्रं बनाना।
- संभावित आपदाओ का विवरण, अभिलेखन रखना व उनके अनुभव के आधार पर रूपरेखा सुनिश्चित करना।

निश्चित योजना के अभाव में आपदा के आने पर कार्यो का समन्वय सुचारू रूप से नहीं हो पाता। किसी एक कार्य पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता है और किसी अन्य जो कि अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है को बिल्कुल नकार दिया जाता है। ऐसी स्थिति खतरनाक हो सकती है। अतः पूर्व आपदा प्रबंधन योजना अति आवश्यक है। जिसके कार्य बिन्दु निम्नानुसार हैः–

(क) प्रतिक्रिया कार्यो के सही क्रम में पूर्व योजना तैयार करना।
(ख) भागीदारी विभागो की जिम्मेदारी निर्धारित करना।
(ग) कार्यरत विभिन्न विभागो के कार्य करने के तरीके का मानकीकरण करना।
(घ) उपलब्ध सुविधा और स्त्रोतो की सूची तैयार करना।
(ड) स्त्रोतो के प्रभावी प्रबंधन की रचना करना ।
(च) सभी सहायता कार्यो में पारस्परिक समन्वय बनाना।
(छ) राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष से सहायता के लिये समन्वय स्थापित करना।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Singh
Designation : Additional Collector
And Additional District Magistrate
Date: 2025.06.13 18:12:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15919603

जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण गठित है, जो निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	पद नाम अधिकारी	पद
1.	जिला कलक्टर	अध्यक्ष
2.	अध्यक्ष जिला परिषद	सह–अध्यक्ष
3.	(अति. जिला कलक्टर)	सदस्य
4.	पुलिस अधीक्षक	सदस्य
5.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
6.	अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग	सदस्य
7.	अधीक्षण अभियंता जल संसाधन विभाग	सदस्य

जिले की भौगोलिक स्थिति :–

जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 2156.33 वर्ग किलोमीटर है तथा कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल 1.85 लाख हैक्टेयर हैं। जिले का भौगोलिक धरातल कटोरेनुमा है तथा वार्षिक औसत वर्षा 558 मि.मी. है। जिले के अधिकांश भू–भाग में भूमि जल खारी है एवं अधिकांश भू–भाग क्षारीय है। जहॉ जिले की डीग मैदानी व समतल है, डीग व डीग उपखण्डो की भूमि उपजाऊ है और यह क्षेत्र सामान्यतः समतल है। जिले की प्रमुख नदी रूपारेल है। यह वर्षाती नदी हैं। सामान्यतः यह क्षेत्र मैदानी, मैदानी वन प्रदेश व विभक्त पहाडियो से युक्त है।

डीग जिले में अनूठी जल प्लावन सिंचाई प्रणाली विद्यमान है जिसका निर्माण रिसायत काल में तत्कालीन शासकों द्वारा इस क्षेत्र से बह रही वर्षाकालीन नदियों के पानी को पेयजल एवं जल प्लावन सिंचाई सुविधा प्रदान करने के साथ–साथ बाढ नियन्त्रण किए जाने हेतु कराया गया था। जिले में विद्यमान सिंचाई प्रणाली मुख्यतः गुडगांव मुख्य नहर पर निर्मित हैं।

भौतिक स्थिति

डीग जिला राजस्थान के उत्तर–पूर्वी भाग में स्थित है। यह जिला भरतपुर जिले के उत्तरी भाग में स्थित है और हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों की सीमाओं से सटा हुआ है। डीग की औसत ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 174 मीटर (570 फीट) है। डीग जिले की जलवायु अर्ध–शुष्क है, जहां गर्मी के मौसम में तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है और सर्दी के मौसम में तापमान काफी गिर जाता है। यहाँ की जलवायु निम्नलिखित प्रकार की होती है:

गर्मी: मार्च से जून तक चलती है, इस दौरान तापमान 48 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो सकता है।
मानसून: जुलाई से सितंबर तक रहता है, इस दौरान औसत वर्षा होती है, जिससे कृषि को लाभ होता है।
सर्दी: अक्टूबर से फरवरी तक चलती है, इस दौरान तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है।

नदी और जल स्रोत

डीग जिले में प्रमुख जल स्रोतों में कृत्रिम झीलें और तालाब शामिल हैं। प्रमुख झीलें और जलाशय निम्नलिखित हैं:

- गोपाल सागर: यह एक प्रमुख जलाशय है जो डीग महल के पास स्थित है।
- रूप सागर: यह भी एक महत्वपूर्ण झील है जो महल की सुंदरता को और बढ़ाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Singh
Designation : Additional Collector
And Additional District Magistrate
Date: 2025.06.13 18:12:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15919603

भू–आकृतिक विशेषताएँ

डीग की भू–आकृतिक विशेषताएँ इसमें स्थित तालाब, झीलें, और बगीचों के कारण महत्वपूर्ण हैं। यहाँ की भूमि आमतौर पर उपजाऊ है और कृषि के लिए उपयुक्त है। प्रमुख फसलें गेहूं, बाजरा, सरसों, और सब्जियाँ हैं।

वनस्पति और जीव–जंतु

डीग जिले में वनस्पति और जीव–जंतुओं की विविधता पाई जाती है। यहाँ की प्रमुख वनस्पतियों में शीशम, बबूल, और नीम के पेड़ शामिल हैं। जीव–जंतुओं में विभिन्न प्रकार के पक्षी, हिरण, और अन्य छोटे स्तनधारी शामिल हैं। भरतपुर पक्षी अभयारण्य की निकटता के कारण यहाँ पक्षियों की विभिन्न प्रजातियाँ भी देखी जा सकती हैं।

पर्यटन स्थल

डीग अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है। प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल हैं:

- डीग महल: अपने जल महलों और बगीचों के लिए प्रसिद्ध।
- बृज क्षेत्र: डीग जिला बृज 84 कोस परिक्रमा में भी सम्मलित है एवं धार्मिक स्थलों के लिए भी प्रसिद्ध है।
- फव्वारे और उद्यान: ये महलों की सुंदरता को और भी बढ़ाते हैं।

निष्कर्ष

डीग जिला अपनी ऐतिहासिक, भौगोलिक, और सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ की भौतिक स्थिति, समृद्ध इतिहास, और प्राकृतिक सुंदरता इसे पर्यटन और अध्ययन दोनों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाती है।

डीग जिले की भौतिक स्थिति का यह विवरण इस क्षेत्र की भौगोलिक और जलवायु विशेषताओं, प्राकृतिक संसाधनों, और पर्यावरणीय स्थिति को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Singh
Designation : Additional Collector
And Additional District Magistrate
Date: 2025.06.13 18:12:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15919603

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Singh
Designation : Additional Collector
And Additional District Magistrate
Date: 2025.06.13 18:12:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15919603

जलवायु

डीग जिले का जलवायु

डीग जिला राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है और यह क्षेत्र अपनी विशेष जलवायु परिस्थितियों के लिए जाना जाता है। यहाँ की जलवायु को तीन प्रमुख ऋतुओं में विभाजित किया जा सकता हैः ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु।

1. ग्रीष्म ऋतु (मार्च से जून)

ग्रीष्म ऋतु में डीग में अत्यधिक गर्मी पड़ती है। इस दौरान तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अप्रैल और मई सबसे गर्म महीने होते हैं। गर्म हवाएँ, जिन्हें 'लू' कहा जाता है, इन महीनों में आम होती हैं और इनसे बचाव के लिए सावधानी बरतनी पड़ती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Singh
Designation : Additional Collector
And Additional District Magistrate
Date: 2025.06.13 18:12:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15919603

2. वर्षा ऋतु (जुलाई से सितंबर)

वर्षा ऋतु में मॉनसून के आगमन के साथ ही डीग में वर्षा शुरू होती है। इस अवधि में मध्यम से भारी बारिश होती है, जो क्षेत्र की कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। औसतन, डीग में 600–650 मिमी तक वार्षिक वर्षा होती है। मॉनसून की बारिश से यहाँ के जलाशयों और तालाबों में जल स्तर बढ़ता है।

3. शीत ऋतु (अक्टूबर से फरवरी)

शीत ऋतु में डीग का मौसम ठंडा और सुखद होता है। दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं, जब तापमान 5–7 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। सर्दियों में हल्की से मध्यम ठंड और कभी–कभी धुंध (कोहरा) भी देखने को मिलता है।

निष्कर्ष

डीग की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु की श्रेणी में आती है, जिसमें गर्म ग्रीष्मकाल, मॉनसूनी वर्षा और ठंडी सर्दियाँ होती हैं। यहाँ का मौसम कृषि, पर्यटन और दैनिक जीवन को प्रभावित करता है, और इस कारण स्थानीय लोग विभिन्न ऋतुओं के अनुसार अपनी जीवनशैली में बदलाव करते हैं।

डीग जिला आंकडो की दृष्टि से

क्र0 स0	मद	इकाई	विवरण
	क्षेत्रफल	वर्ग कि.मी.	2145.13 वर्ग किमी.
1.	जनसंख्या जन गणना 2011 के अनुसार		
	पुरूष	संख्या	566335
	महिला	संख्या	506420
	योग	संख्या	1072755
2.	जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या		
	पुरूष	संख्या	86883
	महिला	संख्या	76326
	योग	संख्या	163209
3.	जन गणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या		
	पुरूष	संख्या	5658
	महिला	संख्या	5011
	योग	संख्या	10669
4.	जन गणना 2011 के अनुसार शहरी/ग्रामीण की कुल जनसंख्या		
	ग्रामीण	संख्या	940604
	शहरी	संख्या	132151
	योग	संख्या	1072755
5.	जनसंख्या घनत्व	प्रति वर्ग कि.मी.	500.11
6.	कुल साक्षरता प्रतिशत	प्रतिशत	569821 (65.19)
	पुरूष	प्रतिशत	370072 (80.33)
	महिला	प्रतिशत	199749 (48.31)

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Singh
Designation : Additional Collector And Additional District Magistrate
Date: 2025.06.13 18:12:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15919603

7.	एक हजार पुरूषों पर स्त्री	हजार	894.2
8.	जनसंख्या की दस वर्षीय वृद्धि दर (2001–2011)	प्रतिशत	1072755–871294 =201461(23.12 प्रतिशत)
9.	**प्रशासनिक ढांचा**		
	उपखण्ड	संख्या	6
	तहसील	संख्या	9
	उपतहसील	संख्या	3
	पंचायत समिति	संख्या	5
	ग्राम पंचायत	संख्या	185
	कुल राजस्व ग्रामों की संख्या	संख्या	712
	जिले में आबाद ग्रामों की संख्या	संख्या	666
	जिले में गैर आबाद ग्रामों की संख्या	संख्या	46
	पटवार मण्डल	संख्या	242
	नगर निगम	संख्या	0
	नगर पालिका	संख्या	4
	कुल विधानसभा क्षेत्र	संख्या	3
	कुल सांसद क्षेत्र	संख्या	0
10.	**कृषि**		
	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	हैक्टेयर	204857
	वन क्षेत्र	हैक्टेयर	4402
	कृषि अयोग्य भूमि	हैक्टेयर	20410
	स्थाई एवं अन्य चारागाह	हैक्टेयर	1794
	विविध वृक्ष एवं वृक्ष निकुंज	हैक्टेयर	27
	कृषि अयोग्य भूमि पडत एवं बंजर सहित	हैक्टेयर	6627
	एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र	हैक्टेयर	110546
	कुल बोया गया क्षेत्रफल	हैक्टेयर	183063
	औसत वर्षा	एम.एम.	598.2
11.	**पशुधन**		
	पशु चिकित्सालय	संख्या	38
	पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	124
	कुल पशुधन	संख्या	443250
	गाय	संख्या	102939
	भैंस	संख्या	340295
	कुक्कुट	संख्या	161029
	अन्य	संख्या	1508
12.	**उद्योग**		
	कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत	संख्या	

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Singh
Designation : Additional Collector
And Additional District Magistrate
Date: 2025.06.13 18:12:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15919603

	पंजीकृत कारखाने		
	पंजीकृत कारखानों में औसत दैनिक श्रमिक	संख्या	191
13.	**ऊर्जा**		
	विद्युतिकृत कस्बे	संख्या	5
	विद्युतिकृत गांव	संख्या	699
	कुल शक्ति का उपयोग	लाख यूनिट	5218.63
	घरेलू उपयोग	लाख यूनिट	1416.64
	व्यावसायिक उपयोग	लाख यूनिट	286.29
	औद्योगिक उपयोग	लाख यूनिट	533.51
	सार्वजनिक उपयोग	लाख यूनिट	27.5
	सिंचाई में उपयोग	लाख यूनिट	2825.11
	सार्वजनिक जलदाय	लाख यूनिट	124.82
	अन्य उपयोग	लाख यूनिट	4.76
14.	**शिक्षा**		
	कुल विद्यालय	संख्या	786
	कुल छात्र विद्यालय	संख्या	753
	कुल छात्रा विद्यालय	संख्या	33
	प्राथमिक विद्यालय	संख्या	281
	प्राथमिक छात्र विद्यालय	संख्या	281
	प्राथमिक छात्रा विद्यालय	संख्या	0
	उच्च प्राथमिक विद्यालय	संख्या	211
	उ0 प्रा0 छात्र विद्यालय	संख्या	195
	उ0 प्रा0 छात्रा विद्यालय	संख्या	16
	माध्यमिक विद्यालय	संख्या	0
	माध्यमिक छात्र विद्यालय	संख्या	0
	माध्यमिक छात्रा विद्यालय	संख्या	0
	उच्च माध्यमिक विद्यालय	संख्या	294
	उ0 मा0 छात्र विद्यालय	संख्या	277
	उ0 मा0 छात्रा विद्यालय	संख्या	17
	कुल नामांकन (1से 8)	संख्या	31518
	कुल नामांकन (9से 12)	संख्या	57878
15.	**स्वास्थ्य**		
	ऐलोपैथिक चिकित्सालय	संख्या	49
	ऐलोपैथिक चिकित्सालय में बिस्तरों की संख्या	संख्या	909
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	84
	उप स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	108

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Singh
Designation : Additional Collector
And Additional District Magistrate
Date: 2025.06.13 18:12:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15919603

	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	14
	आयुर्वेदिक चिकित्सालय/औषधालय	संख्या	3 चिकित्सालय, 49 औषधालय 52 कुल 15 शैया
16.	**बैंकिग**		
	व्यावसायिक बैंक	संख्या	46
	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	संख्या	13
	कॉपरेटिव बैंक	संख्या	4
	भूमि विकास बैंक	संख्या	4
17.	**सहकारिता**		
	सहकारी संस्था	संख्या	586
	सदस्य	संख्या	75455
	दुग्ध उत्पादक समितियां	संख्या	116
18.	**पुलिस**		
	सर्किल (वृत्त)	संख्या	4
	पुलिस थाना	संख्या	13
	पुलिस चौकी	संख्या	23
	कारागृह	संख्या	1

2.5 स्वायत्त शासन –

जिले में 1 नगर परिषद् तथा 5 नगरपलिका हैं। नगर पालिकाओं की आय का मुख्य स्त्रोत सरकारी अनुदान व कर तथा खर्च की मुख्य मदें सार्वजनिक प्रकाश व जलप्रदाय, जल निकास, सफाई व स्वच्छता, मरम्मत व निर्माण कार्य आदि है।

2.6 सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ

डीग जिला राजस्थान का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्र है। यहां की सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ समृद्ध और विविधतापूर्ण हैं, जो इस क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर और सामुदायिक जीवन को दर्शाती हैं।

सामाजिक गतिविधियाँ

मेलों और उत्सवों का आयोजनः

गंगा दशहरा मेलाः यह मेला विशेष रूप से प्रसिद्ध है यह मेला जिले के उपखण्ड कामां में आयोजित होता है और बड़ी संख्या में लोग इसमें भाग लेते हैं, डीग का होली

महोत्सवः रंगों और फूलों की होली के लिए प्रसिद्ध है। यह उत्सव सामाजिक मेल–जोल और सा[illegible]क [illegible]ा को बढ़ावा देता है।

सामुदायिक आयोजनः

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Singh
Designation : Additional Collector
And Additional District Magistrate
Date: 2025.06.13 18:12:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15919603

गाँवों और कस्बों में विभिन्न सामुदायिक कार्यक्रम और सामाजिक आयोजन होते हैं, जिनमें धार्मिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक गतिविधियाँ शामिल होती हैं, विवाह समारोह,
धार्मिक उपदेश, और विभिन्न सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है, जो सामाजिक संबंधों को मजबूत करते हैं।

शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमः

सरकार और गैर–सरकारी संगठनों द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास के लिए
विशेष कार्यशालाएं और कार्यक्रम होते हैं।

सांस्कृतिक गतिविधियाँ

नृत्य और संगीतः

राजस्थानी लोक नृत्यः घूमर, कालबेलिया और चकरी जैसे लोक नृत्य यहां के सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा हैं।

लोक संगीतः राजस्थानी लोक गीत, भजनों और भोपों के गायन का आयोजन होता है, जो स्थानीय संस्कृति को जीवंत बनाए रखता है।

हस्तशिल्प और कारीगरीः

डीग में पारंपरिक हस्तशिल्प और कारीगरी का विशेष महत्व है। स्थानीय कारीगर अपनी कला के माध्यम से सांस्कृतिक धरोहर को सहेजते हैं।

मिट्टी के बर्तन, लकड़ी की नक्काशी, और रंगीन कपड़ों पर कढ़ाई का काम यहां की विशेषताएं हैं।

थियेटर और नाट्य प्रस्तुतियाँः

लोककथाओं और ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित नाट्य प्रस्तुतियाँ और थियेटर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

धार्मिक अनुष्ठान और पर्वः

विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान और पर्व जैसे दिवाली, तीज, गणगौर, और मकर संक्रांति बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं।

मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर विशेष पूजा और उत्सव का आयोजन होता है।

डीग जिले की सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और सामाजिक एकता को दर्शाती हैं। यहां के उत्सव, नृत्य, संगीत, हस्तशिल्प, और धार्मिक आयोजन न केवल स्थानीय लोगों को एकजुट रखते हैं, बल्कि बाहरी पर्यटकों को भी आकर्षित करते हैं। डीग की सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ यहां की पारंपरिक और आधुनिक जीवनशैली का अद्भुत मिश्रण प्रस्तुत करती हैं।

2.7 पुरातत्व व ऐतिहासिक महत्व तथा पर्यटक आकर्षण के स्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Singh
Designation : Additional Collector
And Additional District Magistrate
Date: 2025.06.13 18:12:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15919603

डीग जिला राजस्थान राज्य का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। यह जिला अपने भव्य महलों, किलों और जलाशयों के लिए प्रसिद्ध है। यहां के पुरातात्विक और ऐतिहासिक स्थलों के साथ–साथ पर्यटक आकर्षण भी डीग को विशेष बनाते हैं।

ऐतिहासिक महत्व के स्थल

डीग महलः

विवरणः डीग महल, जिसे जल महल के नाम से भी जाना जाता है, अपने भव्य फव्वारों, जलाशयों और बगीचों के लिए प्रसिद्ध है। इस महल का निर्माण 1772 में महाराजा सूरजमल ने करवाया था।

विशेषताएँः महल में गोपाल भवन, किशन भवन, नंद भवन, और सुरज भवन मुख्य आकर्षण हैं। यहां के फव्वारे और बगीचे बेहद सुंदर और स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं।

किला डीगः

विवरणः डीग का किला, जिसे महाराजा सूरजमल ने बनवाया था, एक मजबूत और भव्य किला है जो रक्षात्मक वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है।

विशेषताएँः किले में स्थित विशाल प्राचीरें, बुर्ज और गढ़ियां इस किले की मजबूती और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाती हैं।

पर्यटक आकर्षण ::–

- **गोपाल सागर और रूप सागरः**

विवरणः ये कृत्रिम झीलें डीग महल के पास स्थित हैं और इनका निर्माण जल संरक्षण और सौंदर्यीकरण के उद्देश्य से किया गया था।

विशेषताएँः इन झीलों के किनारे सुंदर बगीचे और फव्वारे स्थित हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।

- **फव्वारों का उद्यानः**

विवरणः डीग महल परिसर में स्थित फव्वारों का उद्यान अपने शानदार जल क्रीड़ा और मनोहारी दृश्य के लिए प्रसिद्ध है।

विशेषताएँः यहाँ के फव्वारे विभिन्न आकारों और डिजाइनों के हैं जो देखने में बेहद सुंदर और आकर्षक हैं।

- **संग्रहालयः**

विवरणः डीग महल के अंदर एक संग्रहालय भी स्थित है जहाँ विभिन्न पुरातात्विक और ऐतिहासिक वस्त्र, शस्त्र और कलाकृतियाँ प्रदर्शित की गई हैं।

विशेषताएँः यह संग्रहालय इतिहास प्रेमियों और शोधकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण स्थान है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Singh
Designation : Additional Collector
And Additional District Magistrate
Date: 2025.06.13 18:12:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15919603

डीग जिला अपने ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के स्थलों और आकर्षक पर्यटन स्थलों के कारण एक महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र है। यहां की भव्य वास्तुकला, सुंदर बगीचे, और ऐतिहासिक किलों और महलों की समृद्ध धरोहर डीग को विशेष बनाती है। पर्यटकों और इतिहास प्रेमियों के लिए डीग एक अविस्मरणीय गंतव्य है, जहाँ वे राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का आनंद ले सकते हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Singh
Designation : Additional Collector
And Additional District Magistrate
Date: 2025.06.13 18:12:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15919603

2.8 डीग जिले का नक्शा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Singh
Designation : Additional Collector
And Additional District Magistrate
Date: 2025.06.13 18:12:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15919603

बाढ़ नियंत्रण कक्ष

आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर के पत्रांक राजकाज रैफ. न. 15321258 दिनांक 15.05.2025 एवं 15321268 दिनांक 15.05.2025 अनुसार पूर्व वर्षों की भांति मानसून सत्र 2025 मे भी संभावित बाढ़ के खतरों से बचाव की परिपूर्ण व्यवस्था करने हेतु तथा आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के दायित्व निर्वाहन के मध्यनजर वर्तमान में संचालित आपदा प्रबन्धन नियंत्रण कक्ष (E.O.C.), जिला कलैक्ट्रेट, डीग को दिनांक 15 जून से 30 सितम्बर, 2025 तक जिला बाढ नियंत्रण कक्ष जिला डीग के रूप में 24x7(Round the clock) संचालित किया जायेगा, जिसका **दूरभाष नं. 05641–294005 (टोल फ्री नं. 1070)** रहेगा।

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पद नाम व पदस्थापन मय मो. नं.	विशेष विवरण
1	श्री देवेन्द्र	सहायक अभियंता, सिंचाई विभाग डीग मो. नं. 9887529715	प्रभारी अधिकारी जिला बाढ नियंत्रण कक्ष कलैक्ट्रेट डीग
2	श्री सुरेश चन्द परिहार	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हेलक तहसील कुम्हेर (डीग)	सहायक प्रभारी अधिकारी जिला बाढ नियंत्रण कक्ष कलैक्ट्रेट डीग

उक्त नियंत्रण कक्ष में निम्न कार्मिकों को तुरन्त प्रभाव से लगाया जाकर निर्देशित किया जाता है कि आप प्रभारी अधिकारी एवं सहायक प्रभारी अधिकारी जिला बाढ नियंत्रण कक्ष डीग के निर्देशानुसार कार्य का सम्पादन किया जाना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की लापरवाही/कोताही की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ कर दी जायेगी।

प्रातः 06:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक				
क्र.स.	**कर्मचारी का नाम मय मोबाईल नम्बर**	**पदनाम**	**कार्यालय का नाम**	**विशेष विवरण**
1.	श्री धर्मेन्द्र सिंह (9785800798)	अध्यापक लेवल–1	डी.एल. गुप्ता रा0 उ0 मा0 वि0 पुरानी, डीग (475316)	**रविवार अवकाश**
2.	श्री परमवीर (9116445173)	वरिष्ठ सहायक	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्याालय, जुरहरी (475316)	
दोपहर 02:00 बजे से रात 10:00 बजे तक				
3.	श्री मनोज शर्मा	अध्यापक लेवल–2	[illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Singh
Designation : Additional Collector
And Additional District Magistrate
Date: 2025.06.13 18:12:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15919603

	(805850366)		पहाडी (526864)	
4.	श्री कुलदीप सिंह (8123933245)	अध्यापक लेवल–1	रा.उ.मा.वि. निगोही, डीग	**शनिवार अवकाश**
रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक				
5.	श्री गिरधर सिंह (9785807699)	कनिष्ठ सहायक	कार्यालय अधिशाषी अभियंता जन स्वा. अभि. विभाग, कामां	**गुरूवार अवकाश**
6.	श्री टीकेन्द्र सिंह (9887504233)	स. कर्मचारी	नगर परिषद्, डीग	
रिजर्व पार्टी				
7.	श्री कमल सिंह (9643718666)	अध्यापक लेवल–1	मा. गा. रा. वि. अकाता, कामां	आप अपनी उपस्थिति गुरूवार को रात्रि 10:00 से प्रातः 06:00 बजे तक, शनिवार को दोपहर 02:00 बजे से रात 10:00 बजे तक एवं रविवार को प्रातः 06:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक देगें। आपका साप्ताहिक अवकाश प्रत्येक सोमवार को रहेगा तथा शेष दिवसों में आप अपनी उपस्थिति कार्यालय जिला कलक्टर डीग में देना सुनिश्चित करेंगें।
8.	श्री पुनीत (9352082274)	कनिष्ठ सहायक	जल संसाधन विभाग, डीग	

मानसून के संबंध में पूर्व बैठक

आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर के परिपत्र क्रमांक राज काज रैफ. न. 15353284 दिनांक 16.05.2025 अनुसार श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, डीग के निर्देशन में अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीग की अध्यक्षता में दिनांक 27.05.2025 को सायं 04:00 बजे पंचायत समिति सभागार डीग में मानसून पूर्व तैयारियों की समीक्षा के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अधीक्षण अभियंता पी.एच.ई.डी, अधीक्षण अभियंता जे.वी.वी.एन.एल, अधीक्षण अभियंता सिंचाई विभाग, अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, उपनिदेशक पशुपालन विभाग, जिला रसद अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी समस्त, नगर परिषद् जिला डीग/अधिशाषी अधिकारी समस्त, ए.पी.आर.ओ., जे. टी. ओ. भारत संचार निगम लिमिटेड उपस्थित रहे। बैठक में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये गये।

क्र.स.	विभाग/ अधिकारी	क निर्देश
1.	**सिंचाई विभाग, डीग**	• सिंचाई विभाग को 15 जून से बाढ़ नियन्त्रण कक्ष स्थापित करने के निर्देश दिये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Singh
Designation : Additional Collector
And Additional District Magistrate
Date: 2025.06.13 18:12:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15919603

		• बाढ़ या जलभराव की सम्भावना में जिले के संवेदनशील एवं संकटग्रस्त क्षेत्रों का सामना करने के लिए कार्य योजना बनाने, उपलब्ध वायरलैस सैटों को कार्यशील रखने तथा नावों, रक्षा पेटियों, रस्सों, मशालों, टोर्चों की व्यवस्था सुनिश्चित कराये। • प्रत्येक जिले में उपलब्ध संसाधनों को चिन्हित कर उनकी आवश्यकता होने पर अन्य जिलों में तत्काल भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित कराये। • गैर सरकारी संगठनों की पहचान कर उनके पास उपलब्ध संसाधन/सामग्री का सुनिश्चितीकरण कर आपदा की स्थिति में उनका उपयोग करने की व्यवस्था कराये। • वर्षाकाल में नदियां, नहरों, बांधों, तालाबों आदि पर निरन्तर भ्रमण करते हुए आने वाले संकट के विषय में अग्रिम चेतावनी देने का कार्य करें। • बांध के गेट खोलने वाले तथा तकनिकी रूप से दक्ष कर्मचारियों की सूची बनाकर अपने कार्यस्थल पर तैनात रहने हेतु पाबन्द किया जाये और नावें, रस्से तथा अन्य उपकरण आदि की बाढ़ सम्भावित केन्द्रों पर उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। • संभावित संकट की सूचनाऐं तत्काल जिला स्तरीय आपदा नियंत्रण कक्ष व सभी सम्बन्धित विभागों को नियमित रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित कराये व मुख्यालयों पर हर समय जिम्मेदार अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित की जाये।
2.	**जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, डीग**	• वर्षाकाल में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाये। निचले क्षेत्रों से पानी निकालने हेतु पम्प सैटों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये तथा जहां ज्यादा बाढ़ आने की सम्भावना है वहां व्यापक मात्रा में पम्प सैटों की व्यवस्था रखी जाये। • इसके साथ ही पेयजल की व्यवस्था व पेयजल स्त्रोतों के क्लोरीफिकेशन की समुचित व्यवस्था की जाने के निर्देश प्रदान किये गये।
3.	**खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, डीग**	• उचित मूल्य की दुकानों पर गेहूँ, केरोसीन, अन्य खाद्य सामग्री के भण्डारण, उसके वितरण की व्यवस्था व वितरण के स्थान का उल्लेख आदि सूचनाओं की पारदर्शिता के साथ–साथ उनकी उपलब्धता की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। • बाढ़ की स्थिति में स्वैच्छिक संगठन भी पीडित व्यक्तियों तक समय रहते पहुंचे, यह भी सुनिश्चित किया जाये।
4.	**अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डीग / नगर परिषद् डीग, नगर पालिका समस्त जिला, डीग**	• वर्षाकाल में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाये। शहर की सड़कों की मरम्मत एवं नालों की सफाई की व्यवस्था 15 जून से पूर्व कर ली जाये। • निचले स्तर से प्रभावित व्यक्तियों/बस्तियों को ऊंचे क्षेत्रों में अस्थायी रूप से रहने हेतु वहां स्थित धर्मशाला, सार्वजनिक स्थल आदि को चिन्हित करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। • बाढ़/वर्षा के एकत्रित पानी को निकालने के लिए पम्प सैटों का प्रबन्ध करना, मृत पशुओं, मलवा, कचरा आदि को हटाने एवं सुरक्षात्मक स्वास्थ्य उपाय, जैसे–मलेरियारोधी उपाय, कटे हुए फलों और सब्जियों को खुले में विक्रय पर प्रतिबन्ध आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करायें।
5.	**मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, डीग**	• वर्षाकाल में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाये। जीवन रक्षक दवाईयां, बाढ़ के समय आवश्यकतानुसार मोबाईल चिकित्सा दल के गठन की व्यवस्था की जाये। • बाढ़ के दौरान तथा उसके उपरान्त फैलने वाली बिमारियों जैसे– हैजा, पीलिया, मलेरिया, त्वचा सम्बन्धी बिमारियां, फूड पॉइजनिंग आदि के इलाज हेतु पर्याप्त मात्रा में दवाईयां उपलब्ध रखी जायें । दूषित जल से बचाव व क्लोरिन की पर्याप्त व्यवस्था रखने के निर्देश दिये गये।
6.	**प्रबंधक, भारत संचार निगम लिमिटेड , डीग**	• सभी बाढ़ नियंत्रण कक्ष का टॉल फ्री नम्बर 1077 व [illegible] निरन्तर दुरूस्त रखा जाये तथा आपदा की स्थिति में भी संचार व्यवस्था अबाधित रखने की व्यवस्था करने जाये। • आवश्यकता होने पर मोबाईल टॉवर स्थापित कर [illegible] प्रबंध करने के निर्देश दिये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Singh
Designation : Additional Collector
And Additional District Magistrate
Date: 2025.06.13 18:12:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15919603

7.	**उप नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा विभाग, भरतपुर**	• बाढ़ बचाव टीम में पूर्व की भाँती जिला कलक्टर की मांग के अनुसार सभी जिला मुख्यालय पर प्रशिक्षित तैराक / गोताखोर / रेस्क्यूअर स्वयंसेवको को तैनात करना। • विभिन्न विभागों / जिला मुख्यालय पर उपलब्ध संसाधनों की सूची तैयार कर आपदा के समय उपयोग करना • मानसून के दौरान बाढ बचाव कार्य हेतु प्रशिक्षित नागरिक स्वयंसेवकों की तैनाती की जाये ।
8.	**पुलिस विभाग, डीग**	• वर्षाकाल में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाये। होमगार्ड एवं आर.ए.सी. की प्रशिक्षित व अन्य कम्पनियां तैयार रखी जाये। • पर्याप्त मात्रा में तैराक एवं नावों की व्यवस्था तथा गोताखोरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। • पर्याप्त जीवन रक्षक यंत्रों जैसे जैकिट, रस्से, टार्च, संचार तंत्र, कानून व्यवस्था इत्यादि की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए। • यदि बचाव यंत्र किराये पर मिलते हों तो उनकी दरें, निविदा आमंत्रित कर पूर्व से ही प्राथमिकता से निर्धारित कर लें और उनको पाबन्द कर दें, ताकि बाढ़ से सम्भावित स्थानों पर उनका उपयोग तत्परता से किया जा सके। • आवश्यकतानुसार गोताखोरों को प्रशिक्षण दिया जाये, ताकि आवश्यकता पड़ने पर गोताखोरों की कमी नहीं पड़े। • गत वर्षों में एस.डी. आर.एफ. मद से उपलब्ध कराए गए उपकरणों की सूची तत्काल उपयोग की दृष्टि से तैयार रखे जाने के निर्देश दिये गये।
9.	**विद्युत वितरण निगम, डीग**	• वर्षाकाल में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाये। बाढ़ की स्थिति होने पर विद्युत व्यवस्था को सुचारू रखने हेतु आवश्यक उपकरण पोल, कण्डक्टर आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। • यदि कहीं पर ट्रान्सफारमर जमीन पर पडे हैं तो उन्हें डी.पी. पर रखवाया जाये एवं ढ़ीले तारों को कसा जाये व कनेक्शनों को टाईट करने के निर्देश प्रदान किये गये।
10.	**पशुपालन विभाग, डीग**	• बाढ़ के समय पशुओं में फैलने वाली बीमारियों के इलाज के लिए पर्याप्त दवाईयों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। • बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चारे, पशु आहार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए एवं मृत पशुओं का सुरक्षित निस्तारण करने का स्थान भी सुनिश्चित करें।
11.	**सार्वजनिक निर्माण विभाग, डीग**	• वर्षाकाल में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाये। ऐसे सार्वजनिक भवनों की पहचान की जाए जो वर्षाकाल में गिर सकते हैं। इनकी मरम्मत करवाना, अनुपयुक्त पाये जाने पर उनको गिरा देना सुनिश्चित करें। • सड़क मार्ग से गुजरने वाले नदी–नाले, रपट, कलवर्ट आदि पर होकर वर्षा का पानी बह रहा हो, तो उन स्थानों को चिन्हित कर दोनों और साईनबोर्ड लगाकर यातायात प्रतिबन्धित किया जाने एवं संभावित खतरों वाले रपट, पुलियाओं पर लोहे की जंजीर की व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये।
12.	**उपखण्ड अधिकारी समस्त, जिला डीग / तहसीलदार समस्त, जिला डीग**	• तहसील स्तर पर जिला बाढ़ नियंत्रण कक्ष तैयार कर सूचना कार्यालय में सूची सहित भिजवाने के निर्देश दिये गये। • समस्त उपखण्ड अधिकारीगण अपने अधीनस्थ विभागों की प्रभावी मॉनेटरिंग कर कार्यालय को अवगत करावें।
13.	**अतिरिक्त सूचना एवं जन संपर्क अधिकारी, जिला डीग**	• बाढ नियंत्रण कक्ष का न. 05641–294005 एवं टोल फ्री न. 1070 का प्रकाशन कराया जाना सुनिश्चित करें।

नोटः– सभी संबंधित विभाग बचाव एवं मानसून पूर्व तैयारियों / व्यवस्थाओं हेतु गाईडलाइन के तहत कंटिजेंन्सी प्लान तैयार कर कार्यालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें, एवं आप और आपके अधीनस्थ अधिकारियों / कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान करें और स्पष्ट रूप से आगाह कर देवें कि आने वाले मानसून के समय बिना श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, की अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे तथा अपने विभागीय वांछित सामग्री / उपकरणों के साथ सम्पर्क में रहें। सभी सम्बन्धित अधिकारियों के नाम पद, टेलीफोन नम्बर व पते की सूची को नियंत्रण कक्ष में उपलब्ध सुनिश्चित करें। ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनसे वांछित सहयोग प्राप्त किया जा सके। यदि कोई आपदा आती है, तो जिला प्रशासन के साथ मिलकर उसका निराकरण त्वरित गति से करवायेंगे। अपाके विभाग द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Singh
Designation : Additional Collector
And Additional District Magistrate
Date: 2025.06.13 18:12:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15919603

बनाये गये नियंत्रण कक्ष के कार्मिको की सूची कार्यालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। कार्यालय के बाढ़ नियंत्रण कक्ष का मोबाईल न. 05641–294005 रहेगा। एसडीआरएफ कंट्रोल रूम जयपुर का न. 0141–2759903 एवं 8764873111 है, एवं NDRF टीम के लिए Assistant Comdt. Sh. Yogesh Meena, (मों. 6005204020) से सेवाये भी प्राप्त की जा सकती है।

रूपारेल नदी

अलवर जिले के थानागाजी तहसील के सरिस्का वन अभ्यारण की पहाडियों से उद्गमित होकर लगभग 104 किलोमीटर अलवर जिले की सीमा में बहकर अलवर जिले की सीमा के पास डीग जिले की सीकरी कस्बा के निकट वजीरखेडी गांव पर सीकरी डायवर्जन बांध की चैन 0 पर समाप्त होती है जहॉ सीकरी डायवर्जन बांध में सीकरी फीडर के माध्यम से जिले के नगर कस्बे तक आती है। सीकरी डायवर्जन बांध में 28 नहर निकलती हैं जिसके माध्यम से बाढ के पानी को क्षेत्र में फैलाकर जलप्लावन सिंचाई के साथ श्रेणीबद्ध निर्मित बांधों में भरा जाकर भूजल पुनर्भरण एवं जलप्लावन सिंचाई सुविधा करने के प्रयोग में लिया जाता है। इस नदी के बेसिन में जिले की कुल 34 श्रेणीबद्ध बांध निर्मित हैं जिनकी भराव क्षमता 599 एम.सी.एफ.टी. है। सीकरी बांध से निकलने वाली 28 नहरों में से प्रथम 13 नहरों का पानी कामां पहाडी क्षेत्रों में जाता है। यहॉ से अधिशेष पानी को के.पी. ड्रेन–गोवर्धन ड्रेन से, जो एक अर्न्तराज्यीय ड्रेन है जिससे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तथा राजस्थान के निचले क्षेत्रों के बाढ के पानी को यमुना नदी में निकाला जाता है। शेष 15 नहरों का पानी नगर तहसील में होते हुए डीग क्षेत्र में आकर होम्स कैनाल के माध्यम से कुम्हेर तहसील में बहते हुए भरतपुर शहर में स्थित मोतीझील बांध में आता है जहॉ से अधिशेष बाढ के पानी को मेन ड्रेन के माध्यम से चिकसाना बांध में एवं तत्पश्चात् खारी नदी में डाल दिया जाता है जो अन्ततः यमुना नदी में गिरता है।

रूपारेल नदी पर निर्मित सीकरी डायवर्जन डैम :–

रूपारेल नदी का उद्गम स्थान अलवर जिले में सरिस्का वन अभ्यारण की पहाड़ियों से है। 104 किमी. अलवर जिले की सीमा में बहकर डीग जिले मे प्रवेश करती है। डीग सीमा में रियासत काल में बाढ़ बचाव हेतु सीकरी डायवर्जन बांध का निर्माण किया गया था। बांध की लम्बाई 21.80 किमी. है। बांध के अपस्ट्रीम में समानान्तर फीडर चैनल निर्मित है। बांध से 28 नहरों द्वारा जल की सुरिक्षत निकासी की प्रणाली है। 13 नहरें कामां–पहाडी क्षेत्र के तालाबों एवं लघु सिंचाई बांधों को भरती है। अधिशेष पानी कामां–पहाडी गोवर्धन ड्रेन के माध्यम से यमुना में जाता है। 15 नहरों से डीग–नगर क्षेत्र के लघु सिंचाई बांधों में पानी जाता है। अधिशेष पानी होम्स केनाल के माध्यम से डीग के पास से यमुना नदी में जाता है। सीकरी बांध की चैन 0 पर रूपारेल नदी में गेज रीडिंग साईट है।

गेज डिस्चार्ज टेबल

क्र.सं.	गेज रीडिंग (फुट)	डिस्चार्ज (क्यूसेक)
1	0	0
2	1	26.50
3	2	88.48
4	3	180.54
5	4	305.04
6	5	468.37
7	6	650.76
8	7	872.24
9	8	1133.68

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Singh
Designation : Additional Collector
And Additional District Magistrate
Date: 2025.06.13 18:12:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15919603

10	9	1406.27
11	10	1768
12	11	2131.61
13	12	2559.36

गेज 8'5" पहुंचनें के बाद सीकरी बांध पर गेज रीडिंग साईट से 4 किमी. अपस्ट्रीम से नदी के राईट बैंक पर प्राकृतिक बहाव के क्षेत्र में पानी बहने लग जाता है जो कि गोविन्दगढ़ तहसील (जिला अलवर) के क्षेत्र में फैलकर होता हुआ, सीकरी बांध की वेस्ट वीयर चेन 356 के पास आता है। वेस्ट वीयर की लम्बाई 377 फुट व डिस्चार्जिंग केपेसिटी 3200 क्यूसेक है।

वर्ष 1996 में माह जून में दिनांक 23–24 जून को नगर, पहाडी, कामां क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा 536 मिमी. हुई व अलवर जिले में भी वर्षा होने से रूपारेल नदी में पानी आने के कारण बांध की 18 स्थान पर क्षति हुई थी। वर्ष 1998–99 में बांध की मरम्मत कर सुरक्षित स्थिति में ला दिया गया था। डाऊन स्ट्रीम के लघु बांधों की भी मरम्मत करवा दी गई थी। ग्राम पंचायत के नियंत्रण वाले एक बांध चुल्हेरा (डीग) में कटाव था जिसे वर्ष 2016 में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान में मरम्मत करवा दिया गया था। वर्ष 1996 के बाद बाढ़ की स्थिति या बांधों पर क्षति नहीं हुई है। वर्ष 2016 में माह जुलाई में 15 जुलाई से 21 जुलाई तक व अगस्त में 12 अगस्त से 17 अगस्त तक रूपारेल नदी से सीकरी बांध में पानी आया था। अधिकतम गेज दिनांक 12.08.2016 को 11.40 फुट रहा था। पानी को नहरों के माध्यम से सुरक्षित निकासी की गई थी।

कामां–पहाडी ड्रेन

हरियाणा राज्य से आने वाले जल, कामां व पहाडी तहसील के वर्षा जल के निकासी हेतु कामां पहाडी ड्रेन का निर्माण किया गया था। वर्तमान में हरियाणा द्वारा पृथक ड्रेन का यमुना नदी तक निर्माण कर लिया है। अतः हरियाणा से वर्षा जल नहीं आता है। मात्र सीकरी बांध की 13 नहरों का अधिशेष जल व कामां एवं पहाडी तहसील में होने वाली वर्षा का जल ही आता है। ड्रेन की राजस्थान में लम्बाई 32 किमी. है। राजस्थान उत्तर प्रदेष की सीमा पर राधानगरी के पास (कामां से 8 किमी. की दूरी पर) उत्तर प्रदेश में प्रवेष कर गोवर्धन ड्रेन के नाम में परिवर्तित हो जाती है। कामां कोसी रोड़ पर ड्रेन का अधिकतम डिस्चार्ज 1040 क्यूसेक है। डिस्चार्ज टेबल निम्नानुसार है –

गेज डिस्चार्ज टेबल

क्र.सं.	गेज रीडिंग (फुट)	डिस्चार्ज (क्यूसेक)
1	0	0
2	1	110
3	2	245
4	3	430
5	4	560
6	5	810
7	6	1040

हरियाणा से पानी ड्रेन में वर्ष 1998 से नहीं आ रहा है। अतः रूपारेल नदी का सीकरी बांध में अधिक पानी आने पर फ्लड जैसी स्थिति होती है अन्यथा सुरक्षित जल निकासी होती है। राधा नगरी के निकट उत्तर प्रदेष में प्रवेष करने पर यह गोवर्धन ड्रेन के नाम से जानी जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Singh
Designation : Additional Collector
And Additional District Magistrate
Date: 2025.06.13 18:12:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15919603

होम्स कैनाल

डीग तहसील में ग्राम खोह के पास से निकलती है। तहसील डीग के वर्षाती पानी व सीकरी बांध की 13 से 28 नहरों का सरप्लस पानी ड्रेन करती है। ग्राम अऊ होते हुये कुम्हेर तहसील से होकर मोती झील, भरतपुर तक है। डीग के पास डिस्चार्ज 200 क्यूसेक है।

रूपारेल नदी में अत्यधिक पानी आने पर ही अधिषेष पानी लघु सिंचाई बांधो से होता हुआ होम्स केनाल से जाता है, तब ही फ्लड जैसी स्थिति आती है अन्यथा सामान्य जल निकासी होती है।

भरतपुर फीडर सिस्टम

इस प्रणाली से उत्तर प्रदेश के द्वारा यमुना का जल भरतपुर जिले को उपलब्ध कराया जाता है। कभी–कभी उत्तर प्रदेश द्वारा वर्षाकाल मे अधिक पानी प्राप्त होने पर अथवा वर्षा होने पर उत्तर प्रदेश में पानी की उपयोगिता घट जाने पर, उत्तर प्रदेश द्वारा अत्याधिक जल छोड दिया जाता है, जिसे निकालने हेतु इस नहर के तमरेर गेट को खोल कर होम्स कैनाल मे पानी लिया जाता है। होम्स कैनाल मे पानी की मात्रा अधिक होने पर भॉडोर एवं मोतीझील में पानी भरने की संभावना बनती है। मोतीझील से पानी गिर्राज कैनाल के माध्यम से मैन ड्रेन मे डाल कर चिकसाना बांध जिला भरतपुर में पहुॅचाया जाता है। चिकसाना पर एफटीएल से अधिक पानी होने पर, गेटो को संचालित कर पानी को उत्तर प्रदेश की खारी नदी मे निकाला जाता है।

जिले में वर्षा एवं बाढ की स्थिति

डीग जिले की वार्षिक औसत वर्षा 551.72 मिलीमीटर है जिले में बहकर आने वाली नदियो के जलग्रहण क्षेत्र में अतिवृष्टि होने की स्थिति में जिला बाढ की चपेट में आता रहा है। यहॉ प्रत्येक दशक में एक दो बाढ की स्थिति का सामना करना पडता है। वर्ष 1956, 1972 ,1975, 1976, 1977, 1978 ,1982, 1995, 1996 , 1998, 2003 एंव 2016 में जिला, मध्यम से भारी बाढो से प्रभावित होता रहा है। अंतिम दो दशको में आई बाढ की स्थिति का विवरण निम्नानुसार है।

क्र.सं.	वर्ष	वर्षा सत्र के दौरान हुई औसत वर्षा मि.मी. मे	जिले की औसत वर्षा मि.मी. में	बाढ की स्थिति
1	1996	1036 दिनांक 23–24 जून को कामां–नगर क्षेत्र मे मात्र 36 घण्टे में 536 मि.मी. अतिवृष्टि हुई		बाढ की स्थिति उत्पन्न हुई
2	1997	502		सामान्य से कम
3	1998	915		आंशिक बाढ की स्थिति उत्पन्न हुई
4	1999	480		सामान्य से कम
5	2000	389		सामान्य से कम

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Singh
Designation : Additional Collector
And Additional District Magistrate
Date: 2025.06.13 18:12:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15919603

6	2001	535	551.72 (वर्ष 1996 से 2024 तक औसत वर्षा)	सामान्य से कम
7	2002	290		सामान्य से कम
8	2003	716		आंशिक बाढ की स्थिति उत्पन्न हुई
9	2004	403		सामान्य से कम
10	2005	661		सामान्य से कम
11	2006	316		सामान्य से कम
12	2007	394		सामान्य से कम
13	2008	758		सामान्य से अधिक
14	2009	483		सामान्य से कम
15	2010	697		सामान्य से अधिक
16	2011	671.05		सामान्य
17	2012	682.73		सामान्य
18	2013	547.84		सामान्य से कम
19	2014	449.89		सामान्य से कम
20	2015	419.97		सामान्य से कम
21	2016	685.00		सामान्य आंशिक बाढ की स्थिति उत्पन्न हुई
22	2017	305.00		सामान्य से कम
23	2018	679.00		सामान्य
24	2019	462.80		सामान्य से कम
25	2020	413.37		सामान्य से कम

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Singh
Designation : Additional Collector
And Additional District Magistrate
Date: 2025.06.13 18:12:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15919603

26	2021	569.23		सामान्य से अधिक
27	2022	600.16		सामान्य से अधिक
28	2023	571.47		सामान्य से अधिक
29	2024	867.46		सामान्य से अधिक

PEAK GAUGES Of RUPARAIL RIVER

S.NO	Year	Gauge at BARA Weir (in ft)	Gauge at Sikri bundh (in ft)
1	1993	10.00	10.70
2	1994	3.00	5.50
3	1995	nil	Breached
4	1996	nil	Breached
5	1997	7.70	8.40
6	1998	12.00	11.40
7	1999	nil	nil
8	2000	4.00	4.40
9	2001	nil	3.60
10	2002	nil	nil
11	2003	3.40	11.40
12	2004	NA	10.10
13	2005	NA	10.90
14	2006	2.00	2.00
15	2007	5.00	9.00
16	2008	3.10	10.00
17	2009	0.2	nil
18	2010	3.30	[illegible]
19	2011	4.00	[illegible]0
20	2012	6.00	8.20
21	2013	2.10	nil

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Singh
Designation : Additional Collector
And Additional District Magistrate
Date: 2025.06.13 18:12:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15919603

22	2014	nil	nil
23	2015	nil	nil
24	2016		11.40
25	2017	nil	nil
26	2018	Nil	Nil
27	2019	Nil	nil
28	2020	Nil	Nil
29	2021	8.00	0.00
30	2022	Nil	Nil
31	2023	1.00	Nil
32	2024	7.70	Nil

2.1 बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र (Vulnerable Area)

जिले में आने वाली बाढो से काफी बढा क्षेत्र प्रभावित होता है। यहॉ डीग शहर क्षेत्र के अलावा काफी गॉव भी प्रभावित होते है। प्रभावित गांव की सूची निम्न प्रकार हैः–

बाढ़ से प्रभावित होने वाले गांव

2.1.5 रूपारेल नदी के अधिक पानी से सीकरी बांध के टूटने पर बाढ़ से प्रभावित होने वाले गांवों की सूची

तह.नगर सीकरी, गाजूका, गोलपुरा, डाबक, खेरली, रामपुरा, मोहनपुरा, निहाम, पीपलखेडा, वर्दी, बयारी, नगर, जयश्री, बेरूं, विधारी, कुरकैन, बनैनी, धोकला, पडलवास, गढ़तेस्की, रूस्तमपुर, घमूडकी, सिंहावली, दानियालपुर, वक्सूका, पाली, झंझार, किशनपुरा, झांतली, चन्दुपुरा, बेला, मिट्टूपुरा, भूरू का वास, पुनाय, गोलकी, गुलपाड़ा, इमलारी, रनियाला, बल्देववास, आलमशाह, नीमखेड़ा, नियामतपुर, बलराका, अकबरपुर फौजदार, चिरावलमाली, भूतका, ईसनाका, कुम्हारेड़ी, नगर कस्बा इत्यादि ।

तह. पहाड़ी कैथवाडा, रॉफ, मातूकी, पथराली, सतवारी, आलमपुर, गोपालगढ, जोतवहरूद्दीन, जोत गामेती, कादर जोत, लाडमका, जांगली, हुस्सेका, पांडेका इत्यादि

तह.कामां सहसन, लाडलाका, हुसना, कलतरिया, हुल्ताना, खेडली काजी, वमनपुरा, कंचननेर,करहरी, सादपुरी, पीपलखेडा, खेडा नानू, घोसिंगा, ईखनका, मूसका, काकनखेडी, सावलेर, मल्हाका, जीराहेडा इत्यादि गांव।

तह.डीग ककड़ा बेडम, पूछरी, डबारा, जनूथर, मौरोली, कुचावटी, अऊ, डीग, खोह, महमदपुर, बंधा चौथ, बहताना, खालसा, बरई, निगोही, शाहपुर, बहज, दिदावली माढेरा, तमरेर, करऊआ, सेंहती, न. चाहर, कठैरा, डीग इत्यादि।

तह.कामां सहसन, लाडलाका, हुसना, कलतरिया, हुल्ताना, खेडली काजी, वमनपुरा, कंचननेर,करहरी, सादपुरी, पीपलखेडा, खेडा नानू, घोसिंगा, ईखनका, मूसका, काकनखेडी, सावलेर, मल्हाका, जीराहेडा इत्यादि गांव।

तह.कुम्हेर गांगरौली, नगला कूम्हां, नगला लखन, नगला [illegible] नगला पंच, नगला लखनका, अधैया, सूरौता, सुनारी, अभोर्रा, बेलारा, नगला गोपाल, बाबूला, सेह, बोरई, बावेन, उवार, डहरा से होकर होम्स कैनाल द्वारा मो[illegible]ढ़ का पानी निकलता है ।

जिले में स्थित बांधों का विभागवार विवरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Singh
Designation : Additional Collector
And Additional District Magistrate
Date: 2025.06.13 18:12:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15919603

जिले में विद्यमान सिंचाई प्रणाली में कुल 34 श्रेणीबद्ध बांध लगभग 122 किलोमीटर लम्बाई में निर्मित हैं। इस प्रणाली से लगभग 16739 हैक्टेयर क्षेत्र में जलप्लावन सुविधा प्रदान करने, पारम्परिक जलस्त्रोतो को भरने के साथ–साथ प्रभावी बाढ नियंत्रण किया जाता है।
बांधों का विवरण निम्नानुसार है :–

बांधों का विवरण–

क्र.स.	जिला	बांधो का विवरण	कुल जल भराव क्षमता (एमसीएफटी)	सी.सी.ए. हेक्टयर में
जल संसाधन खण्ड, डीग				
1	डीग	34	599.01	16738.79
जल संसाधन खण्ड भरतपुर के अन्तर्गत डीग जिले में आने वाले बांध				
1	डीग	10	357.97	5166.40

जल संसाधन विभाग के बांधों की सूची

क्र.सं.	जिला	बांध का नाम	कुल डिजायन		सी.सी.ए. (हेक्टयर में)	वर्ष 2024 में प्राप्त पानी गेज फीट में
			गेज फीट में	भराव क्षमता एमसीएफटी		
1	2	3	4	5	6	7
1	डीग	सीकरी	11.00	Diversion	10467	0
2	डीग	आलमपुर	6.20	15.30	483	4.10
3	डीग	डाबक	5.23	7.00	390	0.00
4	डीग	डरावना	4.80	5.00	374	0.00
5	डीग	कैथवाडा	6.20	10.00	447	2.40
6	डीग	पापडा	15.00	11.50	768	0.00
7	डीग	रॉफ	5.00	10.00	427	0.00
8	डीग	अऊ	3.32	4.30		0.00
9	डीग	जनूथर	6.00	18.10	3	2.60

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Singh
Designation : Additional Collector
And Additional District Magistrate
Date: 2025.06.13 18:12:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15919603

10	डीग	कुचावटी	4.50	83.00	760	0.00
	योग खण्ड डीग			**210.10**	**14804**	

जल संसाधन उपखण्ड, कुम्हेर के कार्यक्षेत्र में आने वाले बांध

क्र.सं.	बांध का नाम	ग्राम	ग्राम पंचायत	भराव क्षमता (mcft)	सी.सी.ए. (हैक्टेयर में)	अधिकतम गेज
1	आजऊ बांध	आजऊ	आजऊ	89.60	1920	6-00
2	हुसना बांध	चक पपरेरा	पपरेरा	20.00	480	8-39
3	धनवाड़ा बांध	सिरमई	धनवाड़ा	17.55	892	3-00
4	भरावली बांध	भरावली	भरावली	34.96	270.44	8-00
5	बाँसरोली बांध	बांसरोली	गुदावली	22.00	186.64	8-00
6	पाऊआ बांध	पाऊआ	पाऊआ	40.01	121.45	8-00
7	हेलक बांध	हेलक	हेलक	41.98	291.50	9-00
8	हेलक रूंध बांध	विजय नगर	रूंध हेलक	7.87	283.40	10-00
9	बोरई बांध	बोरई	बोरई	19.00	80.97	9-00
10	सह बांध	बोरई	सह	65.00	640.00	8-00
Total				**357.97**	**5166.40**	

जल संसाधन विभाग के बांधो का वर्गीकरण

क्र.सं.	जिला	वृहद बांध		मध्यम बांध		लघु सिंचाई बांध	
		संख्या	भराव क्षमता (एमसीएफटी)	संख्या	भराव क्षमता (एमसीएफटी)	संख्या	भराव क्षमता (एमसीएफटी)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डीग	1	–	–	–	43	956.9

जिले में कुल 44 बांध है जिसमें से 34 बांध जल संसाधन खण्ड डीग द्वारा संधारित है एवं 10 बांध सहायक अभियंता जल संसाधन उपखण्ड, कुम्हेर के अन्तर्गत आते है। विभाग के निर्देशानुसार जल संसाधन विभाग के बांधों पर वर्षा पूर्व निरीक्षण कर लिया गया है।

जिले में स्थित विभागीय बांधों एवं नहरों के गेटों का ऑयलिंग ग्रीसिंग कार्य पूर्ण कर लिया गया।

मई 2025 में पंचायती राज विभाग द्वारा जल संसाधन विभाग को स्थानान्तरित

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Singh
Designation : Additional Collector
And Additional District Magistrate
Date: 2025.06.13 18:12:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15919603

बांधो की सूची

क्र.सं.	बांध का नाम	पंचायत समिति	डिजायन भराव क्षमता MCUM में	डिजायन भराव क्षमता MCFT में	सी.सी.ए. हेक्टेयर में
1	पथरौली बांध	नगर	0.32	11.19	161.94
2	कुरकैन बांध	नगर	0.20	6.99	64.77
3	डहरी बांध	नगर	0.28	9.99	251.01
4	ब्यारी बांध	नगर	0.13	4.48	178.13
5	बूडली बांध	नगर	0.22	7.77	24.29
6	सतवारी बांध	नगर	0.37	12.99	242.91
7	बडवारा बांध	डीग	0.94	33.19	56.68
8	ककडा बांध	डीग	0.57	20.13	161.94
9	पान्होरी बांध	डीग	0.33	11.65	24.29
10	शीशम बांध	डीग	2.10	74.15	191.94
11	चुल्हेरा बांध	डीग	0.26	9.00	24.29
12	करमुका बांध	डीग	0.23	7.98	25.91
13	निगोई बांध	डीग	0.43	15.18	80.97
14	पसोपा बांध	डीग	0.85	30.01	93.11
15	सबलगढ बांध	कामॉ	2.27	80.16	74.93
16	कामा प्रोटेक्शन	कामॉ		0.00	0.00
17	सबलाना बांध	कामॉ	0.23	7.98	25.91
18	इन्रौली बांध	कामॉ	0.14	4.98	8.09
19	बौलखेडा बांध	कामॉ	0.20	6.99	40.48
20	धाउ बरोली बांध	कामॉ	0.18	6.36	32.38
21	अगरावली बांध	कामॉ	0.20	6.99	32.38
22	अगमा बांध	कामॉ	0.17	6.00	40.48
23	गढअजान बांध	कामॉ	0.13	4.73	4.85
24	खोरा बांध	कामॉ	0.28	9.99	93.11
	Total Deeg Div.		**11.01**	**388.91**	**1934.79**

DETAILS OF FLOOD GATES ON RUPARAIL RIVER SYSTEM IN D[illegible]DIS[illegible]

S.NO	NAME OF SYSTEM OR REGULATOR	NAME TEHSIL	NO. OF GATES	CO[illegible]LLING DIVISION	REMARKS

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Singh
Designation : Additional Collector
And Additional District Magistrate
Date: 2025.06.13 18:12:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15919603

1	Sikri Canal System 28 Flood Channel	Nagar	8	Nagar	
2	Khairawa Regulator	Kaman	11	Kaman	
3	Radha Nagari Regulator	Kaman	13	Kaman	UP Border
4	K.P. Krain Ch. 85,816,881,960,970,1039, Two gate Each on inlet	Kaman	10	Kaman	
5	Home Canal Ch. 92	Deeg	3	Deeg	
6	Ch. 292	Deeg	3	Deeg	
		TOTAL	**52**		

Discharge table of Ruparail River on Nagar alwar road causeway Near village Sheetal

S.N.	Gauge Rl in mtr	Gauge in mtr	Discharge in cumecs	Discharge in Cusecs	Remark
1	100.0	0	0	0	Shown Discharges are in Steady flow Condition
2	100.5	0.50	1.5	53.0	
3	101.0	1.00	5.02	177.6	
4	101.5	1.50	10.566	373.4	
5	102.0	2.00	19.638	694.0	
6	102.5	2.50	31.36	1108.4	
7	103.0	3.00	45.698	1614.8	
8	103.5	3.50	56.45	1995.0	
9	104.0	4.00	102.15	3609.8	
10	104.5	4.50	159.76	5645.4	
11	105.0	5.00	312.033	11025.0	

Discharge Table of Goverdhan Drain

S.NO	Gauge in FT	Discharge in cusecs at Bhilamka reach	Discharge in cusecs at Santruk reach	Remark
1	0.5	90.00	126.00	Shown Discharges are in Steady flow Condition
2	1.0	182.00	255.00	
3	1.5	275.00	385.00	
4	2.0	370.00	511.00	
5	2.5	453.00	643.00	
6	3.0	562.00	775.00	

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Singh
Designation : Additional Collector
And Additional District Magistrate
Date: 2025.06.13 18:12:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15919603

7	3.5	660.00	909.00	
8	4.0	760.00	1045.00	
9	4.5	860.00	1182.00	
10	5.0	962.00	1320.00	
11	5.5	1065.00	1460.00	
12	6.0	1170.00	1601.00	
13	6.5	1275.00	1744.00	
14	7.0	1382.00	1887.00	

Discharge Table of Homes canal Drain

S.NO	Gauge in FT	Discharge in cusecs at Sheesham bundh	Discharge in cusecs at Babula Ch 920	Remark
1	0.0	0.00	0.00	Shown Discharges are in Steady flow Condition
2	1.0	0.00	26.00	
3	2.0	5.00	55.00	
4	3.0	45.00	87.00	
5	4.0	79.00	122.00	
6	5.0	154.00	160.00	
7	6.0(FSD)	170.00	200.00	
8	7.0	200.00	244.75	

बांधों का निरीक्षण

जल संसाधन विभाग के सभी बांधों का निरीक्षण कर लिया है। खाली व भरे कट्टों की निम्नानुसार 15 जून 2025 तक व्यवस्था की जावेगी।

क्र.सं.	बांध का नाम	कट्टों की संख्या
1	सीकरी बांध	2000 खाली कट्टे व 500 मिट्टी भरे कट्टे
2	आलमपुर बांध	100 मिट्टी भरे कट्टे
3	पापड़ा बांध	100 मिट्टी भरे कट्टे
4	डाबक बांध	100 मिट्टी भरे कट्टे
5	कैथवाडा बांध	100 मिट्टी भरे कट्टे
6	रांफ बांध	100 मिट्टी भरे कट्टे
7	डरावना बांध	100 मिट्टी भरे कट्टे

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Singh
Designation : Additional Collector
And Additional District Magistrate
Date: 2025.06.13 18:12:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15919603

8	जनूथर बांध	100 मिट्टी भरे कट्टे
9	कुचावटी बांध	100 मिट्टी भरे कट्टे
10	अऊ बांध	100 मिट्टी भरे कट्टे
11	पथरौली बांध	100 मिट्टी भरे कट्टे
12	कुरकैन बांध	100 मिट्टी भरे कट्टे
13	डहरी बांध	100 मिट्टी भरे कट्टे
14	ब्यारी बांध	100 मिट्टी भरे कट्टे
15	बूडली बांध	100 मिट्टी भरे कट्टे
16	सतवारी बांध	100 मिट्टी भरे कट्टे
17	बडवारा बांध	100 मिट्टी भरे कट्टे
18	ककडा बांध	100 मिट्टी भरे कट्टे
19	पान्होरी बांध	100 मिट्टी भरे कट्टे
20	शीशम बांध	100 मिट्टी भरे कट्टे
21	चुल्हेरा बांध	100 मिट्टी भरे कट्टे
22	करमुका बांध	100 मिट्टी भरे कट्टे
23	निगोई बांध	100 मिट्टी भरे कट्टे
24	पसोपा बांध	100 मिट्टी भरे कट्टे
25	सबलगढ बांध	100 मिट्टी भरे कट्टे
26	कामा प्रोटेक्शन	100 मिट्टी भरे कट्टे
27	सबलाना बांध	100 मिट्टी भरे कट्टे

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Singh
Designation : Additional Collector
And Additional District Magistrate
Date: 2025.06.13 18:12:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15919603

28	इन्रौली बांध	100 मिट्टी भरे कट्टे
29	बौलखेडा बांध	100 मिट्टी भरे कट्टे
30	धाउ बरोली बांध	100 मिट्टी भरे कट्टे
31	अगरावली बांध	100 मिट्टी भरे कट्टे
32	अगमा बांध	100 मिट्टी भरे कट्टे
33	गढअजान बांध	100 मिट्टी भरे कट्टे
34	खोरा बांध	100 मिट्टी भरे कट्टे

बांधों और नहरों पर निम्नानुसार गेटों की ऑयलिंग, ग्रीसिंग करवा दी गई है –

क्र.सं.	बांध का नाम	गेटों की संख्या
1	सीकरी बांध	8 गेटों
2	पापड़ा बांध	1 गेट
3	गुडगांव नहर एवं माईनर्स	25 गेट
4	होम्स कैनाल	2 क्रॉस रेगूलेटर कुल 6 गेट

पूर्व चेतावनी व्यवस्था

जिले में बाढ नियंत्रण हेतु विभिन्न मुख्य–मुख्य स्थानो पर सिंचाई विभाग द्वारा 03 नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जाते हैं जो 15 जून से कार्य प्रारंभ करते हैं तथा 30 सितम्बर तक स्थापित रहते हैं। इनके साथ ही जिला प्रशासन द्वारा जिला मुख्यालय पर मुख्य नियंत्रण कक्ष के साथ साथ प्रत्येक तहसील स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जाते हैं। उपर्युक्त सिंचाई विभाग के 03 बाढ नियंत्रण कक्षो में से 1 केन्द्र पर टेलीफोन सुविधा उपलब्ध रहती है एवं अन्य नियंत्रण केन्द्रों से मोबाईल द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। सिंचाई विभाग का मुख्य नियंत्रण कक्ष हाइड्रोलॉजी यूनिट आई डी एण्ड आर जे एल एन मार्ग जयपुर में स्थापित किया जाता है।

वर्षा सत्र के दौरान रोजाना सुबह 8 बजे नियंत्रण कक्षों के माध्यम से जिले के समस्त क्षेत्र की वर्षा एवं गेजों की सूचना प्राप्त की जाती है तथा प्राप्त सूचना प्रातः 09:00 बजे तक जिला कलक्ट्रेट नियंत्रण कक्ष तथा मुख्य नियंत्रण कक्ष जयपुर को भेजी जाती है। इसी तरह बाढ के पानी के नियंत्रण एवं संग्रहण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश विभिन्न कार्य क्षेत्रों में कार्यरत प्रभारी अधिकारियो/कर्मचारियो को इन्हीं नियंत्रण [illegible] माध्यम से सूचना दी जाकर त्वरित कार्यवाही की जाती है।

मानसून काल में मौसम विभाग जयपुर से समय–समय पर चेतावनी मुख्य नियंत्रण [illegible] जय[illegible] के माध्यम से प्राप्त होती है। जिसकी अविलम्ब सूचना स्थापित नियंत्रण कक्षों के माध्यम से कार्यरत प्रभारी अधिकारियो को दी जाती है। साथ ही रूपारेल नदी पर स्थापित नियंत्रण कक्ष घाट पिकअप वीयर, अलवर से दूरभाष द्वारा सम्पर्क स्थापित कर सूचना प्राप्त की जाकर स्थिति का आंकलन कर आवश्यक निर्देश/चेतावनी नियंत्रण कक्षो के माध्यम से दी जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Singh
Designation : Additional Collector
And Additional District Magistrate
Date: 2025.06.13 18:12:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15919603

प्रभावी बाढ नियंत्रण हेतु नदियो के जिले में विद्यमान गेज स्टेशनो तथा अप स्ट्रीम में दूसरे जिलों में स्थापित गेट स्टेशनों के गेजों के आंकडे लिये जाकर तैयार ग्राफ से प्राप्त आंकडो के अनुसार संभावित गेज एवं पानी की मात्रा तथा पानी पहुॅचने की अवधि का आंकलन कर बाढ पूर्व की चेतावनी सूचना तथा दिशा–निर्देश नियंत्रण कक्षों के माध्यम से क्षेत्रों में कार्यरत प्रभारी अधिकारियो/कर्मचारियो को प्रसारित किये जाते हैं तथा सभी संबंधित विभागों से सामंजस्य स्थापित कर कार्य योजना अमल में ली जाती है बाढ आपदा की स्थिति में विभिन्न तहसीलों पर स्थापित प्रशासनिक नियंत्रण कक्षों को अलर्ट कर संभावित प्रभावित क्षेत्रों को उपलब्ध हरसंभव संचार/सूचना/सरकारी मशीनरी गैर सरकारी संस्थाओं/जन सेवकों के माध्यम से सूचना गांवो तक ग्रामीण क्षेत्रों में पहुॅचाई जाती है ताकि समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुॅच सके।

जल संसाधन विभाग के महत्वपूर्ण वायरलैस स्टेशन

जिले में जल संसाधन विभाग द्वारा कुल 4 स्थानों पर वायरलैस केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु चिन्हित किया है वायरलैस केन्द्रो की सूची निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	वायरलैस स्टेशन का स्थान	खण्ड कार्यालय
1	सीकरी बांध	ज.सं.खण्ड डीग
2	जल संसाधन खण्ड डीग कार्यालय	ज.सं.खण्ड डीग
3	राधा नगरी कामां रेगूलेटर	ज.सं.खण्ड डीग
4	जल संसाधन उपखण्ड, कामां	ज.सं.खण्ड डीग

खण्ड, डीग के अन्तर्गत वायरलैस केन्द्रों पर वायरलैस सैट संचालित नहीं है।

बाढ़ नियंत्रण हेतु आवश्यक व्यवस्थाऐं:–

वर्षा सत्र के दौरान सम्भावित बाढ़ की स्थिति से निपटने हेतु विभाग द्वारा मुख्य–मुख्य विभिन्न स्थलों पद आवश्यक सामग्री का 15 जून तक भण्डारण किया जाता है। जिसे बाढ़ की स्थिति में अविलम्ब प्रभावित बिन्दुओं पर पहुचाया जाकर त्वरित कार्यवाही हेतु तैयार रखा जाता है। व्यवस्थाओं का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार तथा वर्षा सत्र से पूर्व आवश्यक न्यूनतम सामग्री का विवरण निम्न प्रकार है।

1. **बांधों के रखरखाव के संबंध में**
   डीग जिले में कुल 44 श्रेणीबद्ध बांध है जिसमें से 34 क्षेणीबद्व बांध लगभग 122 किमी लंबाई में निर्मित है जो जल संसाधन खण्ड, डीग के अधीन है एवं शेष 10 बांध सहायक अभियंता जल संसाधन उपखण्ड, कुम्हेर के कार्यक्षेत्र के अधीन है। इस प्रणाली से लगभग 21905 हैक्टेयर क्षेत्र में जल प्लावन सुविधा प्राप्त करने, पारंपरिक जल स्त्रोतों को भरने के साथ–साथ प्रभावी बाढ नियंत्रण किया जाता है।
   जल संसाधन विभाग के बाधों को महानरेगा योजना एवं अन्य विभागीय योजना मे आवश्यक मरम्मत/रखरखाव कार्य करा लिये जाते है। इस वर्ष बांधों के स्लूस का ऑयलिंग एवं ग्रीसिंग का कार्य करा लिया गया है।
   बाधों पर खाली कटटों एवं मूज सूतली के कार्यादेश जारी कर संवेदक से लेट ऐप्रव करा ली गई है। आवश्यकतानुसार सामग्री की व्यवस्था कर ली जावगी।

2. **ड्रेन के रखरखाव के संबंध में**
   जल संसाधन विभाग के अधीन 2 फ्लड ड्रेन है जिनकी आवश्यक मरम्मत/रखरखाव का कार्य मनरेगा योजना एवं अन्य विभागीय योजना में करा लिये गये है। समस्त ड्रेन के गेटों की ऑयलिंग एवं ग्रीसिंग कार्य भी लिया गया है। नदियों में पानी आने पर सभी ड्रेनों का पानी का सुचारू पूर्वक बिना अवरोध के निकाला जा सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Singh
Designation : Additional Collector And Additional District Magistrate
Date: 2025.06.13 18:12:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15919603

3. **नावों की व्यवस्था**

जिले में विभाग के पास कोई नाव चालू हालत में उपलब्ध नही है। मत्स्य विभाग भरतपुर के अधीन मछली मार्केट गोवर्धन गेट भरतपुर मे 2 नावें निजी क्षेत्र के मछुआरो के पास उपलब्ध है।निजी क्षेत्र के नाव चालक मछुआरों की सूची संलग्न है।

नाव मालिक का नाम, पता एवं मोबाइल नम्बर	नाव चालक का नाम, पता एवं मोबा.नम्ब.	नावों की संख्या	नावें उपलब्ध होने का स्थान	जीवन रक्षक उपकरण	
				लाईफ बॉय सं.	लाईफ जैकेट सं.
श्री दाउद खान/जमील खान, मत्स्य ठेकेदार गिर्राज केनाल, भरतपुर मछली मार्केट के पास गोवर्धन गेट, भरतपुर मो. नं. 6375786684	नाव चालक मत्स्य ठेकेदार द्वारा स्वयं के स्तर पर मत्स्याखेट हेतु बुलाये जाते है।	02 (मछुआरा नावें)	मछली मार्केट गोवर्धन गेट,भरतपुर	निल	निल

निजी क्षेत्र के नाव चालक मछुआरों की सूची

मत्स्य विभाग भरतपुर से प्राप्त सूचना अनुसार

क्र.सं.	मछुआरों का नाम	आयु	पूरा पता
1	कदीर/झमील खॉ	31	मछली महौल्ला गोवर्धन गेट, भरतपुर
2	मुस्तकीम/सलीम खॉ	43	मछली महौल्ला गोवर्धन गेट, भरतपुर
3	उस्मान/अब्दुल रहमान	44	मछली महौल्ला गोवर्धन गेट, भरतपुर
4	फज्जो/सुभान खॉ	49	मछली महौल्ला गोवर्धन गेट, भरतपुर
5	फकरूद्दीन/रसीद खॉ	37	मछली महौल्ला गोवर्धन गेट, भरतपुर
6	आफताब/फरजन्दअली	29	मछली महौल्ला गोवर्धन गेट, भरतपुर
7	अयूब/यूसुफ	46	मछली महौल्ला गोवर्धन गेट, भरतपुर
8	महबूब/यूसुफ	41	मछली महौल्ला गोवर्धन गेट, भरतपुर

खाली कट्टों एंव अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था

जल संसाधन खण्ड डीग के क्षेत्र मे 12000 खाली सीमेन्ट के कट्टो की व्यवस्था है जो संभ[illegible] बाढ़ [illegible]लो पर रखे हुए है। आवश्यकतानुसार कट्टो की व्यवस्था हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जिसे 15.06.2024 से पूर्व पूर्ण करा लिया जावेगा। विभिन्न प्रकार है

क्र.सं.	नाम सामग्री	तादाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Singh
Designation : Additional Collector
And Additional District Magistrate
Date: 2025.06.13 18:12:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15919603

		डीग खण्ड
1	खाली सीमेन्ट के प्लास्टिक के कट्टे	12000
2	बांस	200
3	बल्ली	25
4	परात	20
5	मिटटी से भरे प्लास्टिक के कटटे	1400
6	बान–मूंज	15 किलो
7	सुतली	10 किलो
8	नारियल रस्सी	10
9	छाता	10
10	फाबडा बेटां(हैण्डल) सहित	20
11	Life Jackets	निल
12	Life Bouys	निल

चैन पुलियों की व्यवस्था

विभाग के पास कुल 2 चैन पुली विभिन्न कार्य स्थलों पर उपलब्ध है। उपखण्ड डीग व कामां के पास 1–1 चैनपुली उपलब्ध है।

पम्पसैटों की व्यवस्था

पम्प सैट की सूची (उपलब्ध संसाधन)

क्र.सं.	आईटम	मात्रा	स्थान का नाम	खण्ड कार्यालय
1	मोटर पम्प सैट 60 एच पी	1	कांमा	ज.सं.खण्ड डीग
2	मोटर पम्प सैट 7.5 एच पी	5	कांमा	ज.सं.खण्ड डीग
3	मोटर पम्प सैट 25 एच पी	1	कांमा	ज.सं.खण्ड डीग
4	मोटर पम्प सैट 30 एच पी	1	कांमा	ज.सं.खण्ड डीग
5	इंजन पम्प सैट 40 एच.पी.	1	कांमा	ज.सं.खण्ड डीग

जल संसाधन खण्ड,डीग के अधीन उपखण्ड, कामां कार्यालय में 9 पम्प सैट उपलब्ध है जिनका [illegible] ऑयलिंग कर चलाकर सहायक अभियंता द्वारा चैक कर लिये है। इन्हें संचालित का दायित्व श्री आविद खान, कनिष्ठ अभियंता जल संसाधन उपखण्ड, [illegible] को

जे सी बी की व्यवस्था

संभावित बाढ की स्थिति में तत्काल रिपेयर कार्यो के लिए जे सी बी मालिकों का विवरण [illegible] कर लिया गया है जिन्हे आवश्यकता होने पर तत्काल बुलाया जा सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Singh
Designation : Additional Collector
And Additional District Magistrate
Date: 2025.06.13 18:12:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15919603

- **जल संसाधन खण्ड डीग में जे.सी.बी. मशीनों की सूची**

क्र.सं.	जेसीबी मालिक का नाम	मो.नं.
1	हुसैन खां, भीलमका (डीग)	9928932517
2	मौसम खां (डीग)	8875528348
3	उस्मान, खोह (डीग)	9828802070
4	हुकम चौंटाला, डीग	9461696163
5	चरण सिंह, नंदोला (कामां)	9950705001
6	जमषेद, सीकरी	9587204311
7	उमेश, साहपुर (डीग)	9785839373
8	असलम, झंझार (सीकरी)	7823885855
9	अवतार सिंह, नगर	9351271957

अलवर में सरिस्का में अधिक वर्षा होने पर रूपारेल नदी में पानी आता है। अधिक पानी आने पर सीकरी बांध की नहरों में अधिक पानी छोड़ा जाता है। अत्यधिक आवक से बेरूं के पास से ओवर फ्लो से पानी निकलता है। 2500 क्यूसेक पानी तक सेफ निकासी होती है। 4000 क्यूसेक तक सतर्कता की स्थिति एवं इससे अधिक पानी आने पर पहाड़ी तहसील, कामां तहसील, नगर तहसील, डीग तहसील व कुम्हेर तहसील के सीकरी बांध के डाऊन स्ट्रीम ग्रामों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। रूपारेल में अधिक पानी आने पर अलवर–नगर रोड़ सीतल के पास बंद हो जाता है।

- **बाढ की स्थिति में सुरक्षित स्थानों की सूची**

नगर		
1	नगर	रा.सी.मा.वि. सीकरी
2	नगर	रा.प्रा.वि. जयश्री
3	नगर	रा.प्रा.वि. रायपुर सुकेती
4.	नगर	रा.मा.विद्यालय डाबक
5	नगर	रा.मा.विद्यालय, पालका
6.	नगर	रा.मा.विद्यालय वेरू
7.	नगर	रा.मा.विद्यालय सुन्दरोली
8.	नगर	सिटी स्कूल, बोर्डिंग हाउस, नगर प[illegible], ने[illegible]खवा
कांमा		
1.	कांमा	कोट ऊपर कांमा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Singh
Designation : Additional Collector
And Additional District Magistrate
Date: 2025.06.13 18:12:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15919603

2.	कांमा	जैन धर्मशाला कांमा,
3.	कांमा	अग्रवाल धर्मशाला
4.	कांमा	खण्डेलवाल धर्मशाला कांमा
5.	कांमा	रा.उ.मा.वि. कांमा,
6.	कांमा	पहाड़ स्थल नन्देरा
7.	कांमा	रा.मा.वि. नौनेरा
8	कांमा	जी.एम.सी. नहर के बैंक
9	कांमा	पहाड़ स्थल, लेवड़ा
10	कामॉ	पहाड़ स्थल कनवाड़ी
डीग		
1	डीग	किशनलाल जोशी राजकीय सीनियर सैकण्डरी स्कूल, डीग
2	डीग	मास्टर आदितेन्द्र कॉलेज, डीग
3	डीग	पंचायत समिति भवन, डीग
4	डीग	तहसील भवन डीग
पहाड़ी		
1	पहाड़ी	ग्राम पंचायत पहाड़ी भवन
2	पहाड़ी	केहरी सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय, पहाड़ी
3	पहाड़ी	राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय, पहाड़ी

विभिन्न विभागो में उपलब्ध संसाधन

बाढ बचाव के लिए में आवश्यक संसाधन जो विभिन्न विभागो में उपलब्ध है:–

नगर परिषद ,डीग

क्र.सं.	नाम वस्तु	तादात	क्र.सं.	नाम वस्तु	तादात
1	इंजन	5	23	फर्स्ट एण्ड बॉक्स	7
2	टार्च (3 सैल)	13	24	स्ट्रेचर	0
3	पैट्रोमैक्स	2	25	रस्सा मोटा सन का	1
4	छाता	12	26	एक्स्टेशन लेडर	6
5	ट्रेक्टर	22	27	रेस्क्यू वाहन ट्रक	0
6	डम्फर	0	28	रेस्क्यू वाहन बोलेरा केम्पर	0
7	ऑटो ट्रिप्स	30	29	बी.ओ.बी.रो[illegible]म.) 90 मीटर	0
8	जे.सी.बी.	5	30	बी.ओ.बी [illegible](12 [illegible]म.) 90 मीटर	0
9	फायर वाहन	8	31	[illegible]ग्नल लाईट	2
10	रस्सा	11	32	[illegible] सिंगल / डबल लोप	0

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Singh
Designation : Additional Collector
And Additional District Magistrate
Date: 2025.06.13 18:12:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15919603

11	फावड़े	200	33	कुल्हाडी	23
12	परात	210	34	हथौडा	15
13	फावड़ी	205	35	फायरमैन हुक	10
14	सब्बल	34	36	दरी	0
15	गेंती	19	37	पोर्टेबल इन्फीलेटेबल इमरजेंसी लाईटिंग सिस्टम	0
16	घन	14	38	चिपिंग हेमर	0
17	पेट्रोमेक्स	4	39	लाल कम्बल	2
18	रेत से भरे कट्टे	350	40	नेट 10X10	
19	निचली क्षेत्रों में पानी निकास हेतु इंजन व्यवस्था	12	41	फेस मास्क	0
20	लाईफ ब्याएज	0	42	असेण्डर	0
21	लाईफ जैकेट	50	43	डिसेण्डर	
22	बेल्चा	52			

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Singh
Designation : Additional Collector
And Additional District Magistrate
Date: 2025.06.13 18:12:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15919603

- **नागरिक सुरक्षा स्वंय सेवक तैराकों की सूची**

क्र.सं.	तैराक का नाम	सदस्य संख्या
1	श्री भूपेन्द्र	35
2	श्री प्रहलाद सिंह	53
3	श्री मानिक चन्द	94
4	श्री लेखराम	95
5	श्री प्रीतम सिंह	114
6	श्री राजकुमार	132
7	श्री वीरेन्द्र सिंह	190
8	श्री भूपेन्द्र कुमार	219
9	श्री दिनेश चन्द	495
10	श्री हरिश चन्द	504
11	श्री तेजवीर सिंह	514
12	श्री लीलाधर	189
13	श्री भूपेन्द्र सिंह	184
14	श्री रवि	201
15	श्री ओमप्रकाश	142
16	श्री उमेश चंद	143
17	श्री महेन्द्र	145
18	श्री भूरी सिंह	144
19	श्री भोजपाल	146
20	श्री कुमर सिंह	147

- **बाढ नियंत्रण कक्ष**

जिले में बाढ नियंत्रण हेतु 15 जून से नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जाते है। सिंचाई विभाग द्वारा जिले के विभिन्न चिन्हित 03 स्थानों पर बाढ नियंत्रण कक्षो की स्थापना की जाती है। इनके अतिरिक्त जिला कलक्ट्रेट मुख्यालय में केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष की स्थापना के साथ–साथ प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर भी बाढ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जाती है।

- **वर्षा सत्र के दौरान प्रस्तावित कार्य योजना**

वर्षा सत्र के दौरान सुचारू जल संग्रहण एवं बाढ नियंत्रण हेतु जिले का बाढ का पानी को 15 जून से [illegible] बांधों में संग्रहित किया जाता है। 15 सितम्बर के बाद बांधों को निर्धारित समितियों द्वारा तय कर जल प्लावन सिंचाई हेतुं खाली करवाया जाता है मुख्य [illegible] पानी प्रवेश कराल में लायी जावेगी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Singh
Designation: Additional Collector
And Additional District Magistrate
Date: 2025.06.13 18:12:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15919603

- **वर्षा एवं बॉधों नहरों, नदियों के गेजों की सूचना**

15 जून से स्थापित नियंत्रण कक्षों द्वारा सुबह 8 बजे तक क्षेत्र में हुई बर्षा एवं बांधो व नहरों के गेजों की सूचना केन्द्रित नियंत्रण कक्ष डीग को दूरभाष से उपलब्ध कराई जावेंगी। यहॉ से जिला कलक्ट्रेट बाढ नियन्त्रण कक्ष, डीग एवं बाढ नियन्त्रण कक्ष जयपुर को सूचना भेजी जावेगी।

- **नियंत्रण कक्ष**

विभिन्न 03 स्थानों पर स्थापित नियंत्रण कक्षों/ मोनीट्रिंग केन्द्रों से 15 जून से केन्द्रित नियंत्रण कक्ष डीग को सूचना का आदान–प्रदान प्रारम्भ हो जावेगा। मोबाइल फोन द्वारा प्रत्येक केन्द्र से दो घण्टे में केन्द्रित कक्ष को सूचना का आदान–प्रदान होगा तथा बाढ की स्थिति में आवश्यकतानुसार समय निर्धारित कर सूचनाओं का आदान–प्रदान किया जाकर बाढ़ नियंत्रण कार्य संचालित किया जावेगा।

- **मानसून सत्र 2025 में बाढ़ बचाव गतिविधि में नियुक्त कार्मिक**

क्र.सं.	कार्मिक का नाम	पद	स्थान	दूरभाष नं.
1	श्री कृष्ण कुमार यादव	अधि. अभि.	जल संसाधन खण्ड, डीग	7340179147
बाढ़ नियंत्रण कक्ष, डीग				
1	श्री दिलीप कुमार	सहा. अभि. एवं तक. सहा., डीग	बाढ़ नियंत्रण कक्ष, डीग	8875542078
2	श्रीमति तनु खण्डेलवाल, सहप्रभारी	कनिष्ठ अभियंता	बाढ़ नियंत्रण कक्ष, डीग	8387075542
प्रथम पारी 6:00 A.M - 2:00 PM				
1	श्री जयप्रकाश	कनिष्ठ अभियंता	बाढ़ नियंत्रण कक्ष, डीग	9887534730
2	श्री नारायण सिंह	कनिष्ठ सहायक	बाढ़ नियंत्रण कक्ष, डीग	8559860802
द्वितीय पारी 2:00 P.M -10:00 PM				
1	श्री बनवारी लाल	कनिष्ठ सहायक	बाढ़ नियंत्रण कक्ष, डीग	9928812950
2	श्री सौंदान सिंह	टैक्नीशियन तृतीय	बाढ़ नियंत्रण कक्ष, डीग	9649832270
तृतीय पारी 10:00 P.M - 6:00 AM				
1	श्री रविकान्त शर्मा	वरिष्ठ सहायक	बाढ़ नियंत्रण कक्ष, डीग	9351303645
2	श्री मुखराम	टैक्नीशियन तृतीय	बाढ़ नियंत्रण कक्ष, डीग	9468886134
आरक्षित पारी				
1	श्री बकील कुमार	वरिष्ठ सहायक	बाढ़ नियंत्रण कक्ष, डीग	8193865949
2	श्री राजेश	सहायक कर्मचारी	बाढ़ नियंत्रण कक्ष, डीग	9928936854

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Singh
Designation : Additional Collector And Additional District Magistrate
Date: 2025.06.13 18:12:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15919603

बाढ़ नियंत्रण कक्ष, नगर				
6:00 A.M - 2:00 PM प्रथम पारी				
1	**सुश्री निकिता वर्मा**	**कनिष्ठ अभियंता**	**बाढ़ नियंत्रण कक्ष, नगर**	8306257737
2	**श्रीमती भौती देवी**	**सहा.कर्मचारी**	**बाढ़ नियंत्रण कक्ष, नगर**	9256627293
द्वितीय पारी				
2:00 P.M -10:00 PM				
1	श्री सतवीर	कनिष्ठ सहायक	बाढ़ नियंत्रण कक्ष, नगर	8739968282
तृतीय पारी 10:00 P.M - 6:00 AM				
1	श्री बनवारी लाल	सहा.कर्मचारी	बाढ़ नियंत्रण कक्ष, नगर	9251775218
आरक्षित पारी				
1	श्रीमति विमला रानी	कनिष्ठ अभियंता	बाढ़ नियंत्रण कक्ष, नगर	9351475390
2	श्री लोकेश कुमार रावत	कनिष्ठ अभियंता	बाढ़ नियंत्रण कक्ष, नगर	9887010808
बाढ़ नियंत्रण कक्ष, कामां				
प्रथम पारी 6:00 A.M - 2:00 PM				
1	श्रीमति सीमा चौधरी	कनिष्ठ अभियंता	बाढ़ नियंत्रण कक्ष, कामां	8769028502
2	श्रीमति विमला देवी	चौकीदार	बाढ़ नियंत्रण कक्ष, कामां	9636294403
द्वितीय पारी 2:00 P.M -10:00 PM				
1	श्री प्रदीप कुमार	कनिष्ठ सहायक	बाढ़ नियंत्रण, कामां	9813464665
2	श्री अशोक कुमार	सहायक कर्मचारी	बाढ़ नियंत्रण, कामां	9001119619
तृतीय पारी 10:00 P.M - 6:00 AM				
1	श्री रामप्रसाद	बेलदार	बाढ़ नियंत्रण कक्ष, कामां	7391654515
आरक्षित पारी				
1	श्री इमरान	सहायक कर्मचारी	बाढ़ नियंत्रण, कामां	9610751846
बाढ़ नियंत्रण चौकी, राधानगरी				
प्रथम पारी				
1	श्री आविद खानब	कनिष्ठ अभियंता	बाढ़ नियंत्रण चौकी, राधानगरी	9649911760
द्वितीय पारी				
1	श्री आविद खान	कनिष्ठ अभियंता	बाढ़ नियंत्रण चौकी, राधानगरी	9649911760
तृतीय पारी				
1	श्री आविद खान	कनिष्ठ अभियंता	बाढ़ नियंत्रण चौकी, राधानगरी	9649911760
सीकरी बांध				
1	श्री खजान सिंह, प्रभारी अधिकारी	कनिष्ठ अभियंता	[illegible]	9694626068
प्रथम पारी				

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Singh
Designation : Additional Collector And Additional District Magistrate
Date: 2025.06.13 18:12:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15919603

1	श्री असलम खां	संविदा श्रमिक	सीकरी बांध चैन 0	9828818131
द्वितीय पारी				
1	श्री रमजान	संविदा श्रमिक	सीकरी बांध चैन 0	8562076039
तृतीय पारी				
1	श्री लजो गुर्जर	संविदा श्रमिक	सीकरी बांध चैन 0	8505027715
1	श्री खूबी	संविदा श्रमिक	आलमपुर बांध	9549845513
2	श्री सपात खां	संविदा श्रमिक	पापड़ा बांध	9672116763
2	श्री लखन	संविदा श्रमिक	डावक बांध, डरावना बांध	
3	श्री महेन्द्र शर्मा	संविदा श्रमिक	कैथवाडा, रांफ बांध	9928084365
4	श्री सौदान सिंह	बेलदार	जनूथर बांध, अऊ, कुचावटी होम्स केनाल, डीग एस्केप	9649832270

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Singh
Designation : Additional Collector
And Additional District Magistrate
Date: 2025.06.13 18:12:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15919603

क्रमांक	केन्द्र का नाम	प्रभारी अधिकारी/ कर्मचारी
जल संसाधन खण्ड, डीग		
1	कामां रेगूलेटर राधानगरी	श्री आविद खान, कनिष्ठ अभियंता 9649911760
2	उपखण्ड कार्यालय कामां	श्री आविद खान, कनिष्ठ अभियंता 9649911760
3	खण्डीय कार्यालय डीग	श्री दिलीप कुमार , सहायक अभियन्ता एवं तकनीकी सहायक 8875542078
4	सीकरी बांध चैन 0	श्री खजान सिंह, कनिष्ठ अभियंता 9694626068
5	उपखण्ड कार्यालय नगर	श्री लोकेश रावत कनिष्ठ अभियंता , 9887010808

क्र.सं.	उपखण्ड कार्यालय का नाम	बांध का नाम	पंचायत समिति	सम्बन्धित कनिष्ठ अभियंता का नाम
1	सहायक अभियंता जल संसाधन उपखण्ड, नगर	पथरौली बांध	नगर	श्रीमति विमला रानी
2		सतवारी बांध	नगर	श्रीमति विमला रानी
3		कुरकैन बांध	नगर	सुश्री निकिता वर्मा
4		ब्यारी बांध	नगर	श्री निकिता वर्मा
5		डहरी बांध	नगर	श्री लोकेश कुमार
6		बूडली बांध	नगर	श्री खजान सिंह
7	सहायक अभियंता जल संसाधन उपखण्ड, डीग	बडवारा बांध	डीग	श्री जयप्रकाश
8		ककडा बांध	डीग	श्री जयप्रकाश
9		पान्होरी बांध	डीग	श्री प्रेमसिंह मीना
10		शीशम बांध	डीग	श्रीमति तनु खण्डेलवाल
11		चुल्हेरा बांध	डीग	श्री अमनदीप डोई
12		करमुका बांध	डीग	श्री अमनदीप डोई
13		निगोई बांध	डीग	श्री प्रेमसिंह मीना
14		पसोपा बांध	डीग	श्री अमनदीप डोई
15	सहायक अभियंता जल संसाधन उपखण्ड, कामां	सबलगढ बांध	कामॉ	श्रीमति सीमा चौधरी
16		कामा प्रोटेक्शन	कामॉ	श्रीमति सीमा चौधरी
17		सबलाना बांध	कामॉ	श्रीमति सीमा चौधरी
18		इन्द्रौली बांध	कामॉ	श्रीमति सीमा चौधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Singh
Designation : Additional Collector
And Additional District Magistrate
Date: 2025.06.13 18:12:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15919603

क्र.सं.	उपखण्ड कार्यालय का नाम	बांध का नाम	पंचायत समिति	सम्बन्धित कनिष्ठ अभियंता का नाम
19		बौलखेडा बांध	कामॉ	श्रीमति सीमा चौधरी
20		धाउ बरोली बांध	कामॉ	श्रीमति सीमा चौधरी
21		अंगरावली बांध	कामॉ	श्रीमति सीमा चौधरी
22		अगमा बांध	कामॉ	श्रीमति सीमा चौधरी
23		गढअजान बांध	कामॉ	श्रीमति सीमा चौधरी
24		खोरा बांध	कामॉ	श्रीमति सीमा चौधरी

कार्यप्रभारी कर्मचारियों की सूचना 1-06-2025

S.No.	Designation	Staff Available
		Deeg
1	Supervisor	-
2	Driver	-
3	Mistry	-
4	Munshi	-
5	G.Reader	-
6	Mate	-
7	Helper	-
8	Chowkidar	1
9	Beldar/Kuli	-
10	Pump Driver	-
11	Mechanic	-
12	Gardener	-
13	Lineman	-
14	Operator	-
15	Store Attendent	-
16	Technician – IIIrd	-
Total		

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Singh
Designation : Additional Collector
And Additional District Magistrate
Date: 2025.06.13 18:12:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15919603

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड डीग						
क्र. सं.	कार्यप्रभारी का नाम	पद नाम	मुख्यालय	स्थायी पता	मोबाईल नम्बर	पदस्थापित कार्यस्थल / बांध / नहर कानाम
1	2	3	4	5	6	7
	उपखण्ड कुम्हेर					
1	श्री पाल	मैट	नौचेन डीग फीडर	गॉव वरौली चौथ	8107568715	डीग फीडर 0 चैन
2	पूरन	मैट	कौरेर हैड	गॉव कौरेर,तह.डींग डीग	7742304501	लखनका माईनर
3	जवाहर	मैट	कौरेर हैड	गॉव कारैर तह.डीग डीग	9887633849	सजौला माईनर
4	गोपाल	मैट	कौरेर हैड	गॉव अऊ,तह,डीग,डीग	7239976531	डीग डिस्ट्रीव्यूटरी
5	वीरपाल	मैट	कुम्हेर	गॉव सिनसिनी,तह. डीग डीग	9928311060	आजऊ बांध
6	नन्नु	मैट	कुम्हेर	गॉव सिनसिनी,तह. डीग डीग	9602281641	धनवाडा बांध
7	किशन	मैट	अजान रैस्ट चौकी	गॉव समान्या नगला तह.वैर डीग	9929076205	अजान बांध चैन 240 से 480
8	संजय	मैट	अजान रैस्ट चौकी	डीग	9694963562	**केन्द्रीय बाढ नियंत्रण कक्ष डीग**
9	रमेश चन्द शर्मा	मैट	सेवर रैस्ट चौकी	गॉव खेरली गडासीया तह.वैर डीग	9694526598	खण्ड कार्यालय रात्रि चौकीदार
10	वीरपाल सिंह	मैट	वर्कशॉप कार्यालय	डीग	6377572799	वर्क शॉप डीग
11	सतीश	स्टोर परिचारक	वर्कशॉप कार्यालय	चिचाना डीग	9828241674	केन्द्रीय बाढ नियंत्रण कक्ष डीग
12	रामभरोसी	मैट	वर्कशॉप कार्यालय	डीग डीग	6644612	कुम्हेर ऑफिस दिन की ड्यूटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Singh
Designation : Additional Collector
And Additional District Magistrate
Date: 2025.06.13 18:12:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15919603

13	मानसिंह	मैट	नदवई	गॉव भटावली तह. कुम्हेर डीग	9828315027	नदबई
14	रतन	मैट	डीग	डीग	7073576363	वृत कार्यालय मे रात्रि चौकीदार
15	रामबाबू	मैट	डीग	सेवर डीग	9680030286	वृत कार्यालय डीग
16	राजेन्द्र प्रसाद	मिस्त्री सिविल	नदबई			

कार्यालय अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड डीग					
क्र. सं.	**कर्मचारी का नाम**	**पद**	**पता**	**मोबाईल नं.**	**कार्यरत स्थान**
जल संसाधन उपखण्ड, नगर					
–	–	–	–	–	–
जल संसाधन उपखण्ड, डीग					
1	मुखराम पुत्र श्री भजन लाल	बेलदार	ग्राम+पोस्ट घाटा, तह. कामां	9057911402	जी.एम.सी. मुरार चौकी नियंत्रण कक्ष
2	वीरू पुत्र स्व0 श्री हुकम सिंह	चौकीदार	ग्राम+पोस्ट छिछरवाडी, कामां	7610010875	जी.एम.सी. मुरार चौकी
3	सौदान सिंह पुत्र श्री रामसहाय	बेलदार	ग्राम मुढैरा, तहसील नगर (डीग)	9649832270	जनूथर बंध, कुचावटी बांध, जनूथर
4	बबलू पुत्र श्री राजाराम	बेलदार	भूमिया बुर्ज, कामां	9783384002	जी.एम.सी. मुरार चौकी
जल संसाधन उपखण्ड, कामां					
1	इमरान	सहायक कर्मचारी	कामां	9610751846	जी.एम.सी. चैन 36 पर दिन में ड्यूटी
2	रामप्रसाद पुत्र श्री गोपाल	बेलदार	ग्राम घाटा, तहसील कामां	8764091716	एस.डी.एम. ऑफिस कामां कंट्रोल रूम में रात्रि में ड्यूटी
3	विमला पत्नी श्री मोहनलाल	चौकीदार	राधानगरी कॉलोनी, कामां	9636294403	उपखण्ड कामां कंट्रोल रूम

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Singh
Designation : Additional Collector
And Additional District Magistrate
Date: 2025.06.13 18:12:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15919603

रासायनिक युद्ध (Chemical Warfare) – रासायनिक युद्ध उत्प्रेरक रासायन के द्वारा फैलाया जाता है, जिसका सीधा हानिकारक प्रभाव मानव पेड–पौधे जीव जन्तुओं पर पड़ता है। इसमें उच्च रासायनिक गैसों जैसे टैबुन सरीन, मस्टर्ड चौकिन, बायोबैन्जिल साइनाइट एवं अन्य विषैली गैसों का प्रयोग किया जाता है। इन गैसों के द्वारा शत्रु राष्ट्र का मुख्य उद्वेश्य जनता का मनोबल गिराना, कामदारों को अस्थाई रूप से विकलांग बनाना, पेड़ पौधों एवं जीव जन्तुओं को दूषित कर खाद्यान्न संकट पैदा करना आदि होता है।

- **रासायनिक गैसों का वर्गीकरण** :– रासायनिक युद्ध में प्रयोग में लाई जाने वाले गैसों की भौतिक और रासायनिक विशेषताएं

क.सं.	गैस	पहचान करने का तरीका	मानव शरीर पर पडने वाले प्रभाव
1.	**तांत्रिक** • टैबुन : सायनो फास्फोरिक अम्ल की संजात होती है रंगहीन अस्तिर द्रव के रूप में होती है। • सरीन : फ्लोओरों फॉस्फोरिक अम्ल की संजात होती है। रंगहीन, अस्थिर द्रव के रूप में होती है।	अत्यधिक मन्द फल जैसी गंध/सामान्यत गंध द्वारा पहचान नही होती पर रासायनिक परीक्षणों से पहचान हो जाती है। गंधहीन होती है, विशेष रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा पहचान की जाती है।	देखने में परेशानी होती है। गला और छाती भारी हो जाती है। फेफडे का शोफ होना (लंग ईडीमा), नीलापन पसीना आना, अतिसार, मृत्यु होना।
2.	**व्रण गैस (बिलस्टर ग्रुप)** • मस्टर्ड गैस, तेलीय द्रव के रूप में होती है। गहरे भूरे से लेकर हलके पीले रंग की होती है रबर, चमडे, कपडे लकडी में छेद कर देती है, चिर स्थायी होती है। क्लोरिन (अर्थात् – विरंजक चूर्ण) (ब्लिचिंग पाउडर) द्वारा आसानी से निष्प्रभावित हो जाती है।	लहसुन प्याज या मूली या सरसों की गंध के समान गंध होती है।	वाष्पन, प्रभाव, आंखे जलने लगती है और सूज जाती है त्वचा लाल हो जाती है और उस पर फफोले पड जाते है खॉसी उठती है आवाज नही निकलती और बाद में श्वसनी शोध (ब्रॉन्काइटिस) या न्यूमोनिया हो जाता है द्रव प्रभाव आंखों पर तत्काल किसी प्रकार का प्रभाव नही पडता पर कुछ घण्टों में अति गंभीर लक्षण दिखाई पडने लगते है त्वचा दो घण्टे में लाल हो जाती है और फफोले 12 से 24 घण्टों में पडते वाष्पन नाक, आंखों और फैफड़ों में श्लेष्म झिल्ली होता है। मास्टर गैस की

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Singh
Designation : Additional Collector
And Additional District Magistrate
Date: 2025.06.13 18:12:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15919603

	• लेविसाइट (आर्सेनिक योग) : शुद्ध रूप में होने पर रंगहीन द्रव की तरह होती है पर अशुद्ध रूप में होने पर भूरे रंग की होती है। एक अदृश्य गैस छोडती है। अत्यधिक प्रभावशाली और चिर स्थायी होती है पर पानी और अम्लों द्वारा आसानी से समाप्त हो जाती है।	जिरेनियम (फूलों) की गंध की तरह गंध होती है।	तुलना में त्वचा को कम प्रभावित करती है। **द्रव** : आंखों पर तत्काल और गंभीर प्रभाव डालती है।मस्टर्ड गैस की तुलना में इससे त्वचा पर अधिक तेजी से फफोले उत्पन्न हो जाते हैं।
3.	**श्वास रोधी गैसे** • फॉस्जीन : प्राय : अदृश्य गैस होती है, धातुओं को संक्षारित करती है। चिरस्थायी नही होती। • डाइफॉसजोन : रंगहीन द्रव्य के रूप में होती है। अर्द्धस्थायी होती है। • युक्सोरीन : हरे रंग की गैस होती है, धातु को संक्षारित करती है, चिर स्थायी नही होती।	गीली घास के सडने की गंध की तरह गंध होती है। फॉस्जीन की तरह पहचानी जाती है।	जीवन के लिए अत्याधिक हानिकारक होती है। पहले प्रभावों में खॉसी उठती है, ऑसू निकलते रहते है, छाती में दर्द होता है, वसन में कठिनाई होती है। बाद में फुफ्फुस शोफ (पल्मोनरीईडीमा) हो जाता है। इसके प्रभाव 24 घण्टे में दिखाई पडने लगते है। फॉस्जीन की तरह प्रभावित करती है। इसके प्रभाव भी फॉस्जीन की तरह होते है पर अधिक होते है पर अधिक क्षोभ उत्पन करते है और कम जहरीले होते है। इसके प्रभाव क्लोरीन की तरह होते है पर अधिक हानिकारक होते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Singh
Designation: Additional Collector
And Additional District Magistrate
Date: 2025.06.13 18:12:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15919603

	• क्लोरोपिक्रिन : रंगहीन होती है, वाष्पशील द्रव के रूप में होती है, अर्द्ध स्थायी रूप में होती है।	विरंजक चूर्ण (ब्लीचिंग पाउडर) की गंध की तरह गंध होती है। तीखी गंध होती है।	
4.	अश्रु गैस • के.एस.के : गहरे भूरे द्रव के रूप मे होती है, गैसीय अवस्था मे अदृश्य होती है।चिर स्थायी होती है। • बी.बी.सी. (ब्रोमोबेन्जिल सायनाइड) : पीले भूरे क्रिस्टलो मे शुद्व रूप मे होती है। लेकिन सामान्यतः भेरे द्रव मे चिरस्थायी रूप से प्रयोग मे लायी जाती है। • सी.ए.पी (क्लोरीन फेनॉन) इसके रगंहीन क्रिस्टल होते है, गैसीय अवस्था मे अदृश्य होती है, चिरस्थायी नही होती । • नासिका को प्रभावित करने वाली :डाइफेनाइल क्लोरसाइन (डी.ए) (डी.ए) (डी.एम.और डी.सी) समान गैसे होती है। रगंहीन या चमकदार पीले क्रिस्टल होते है। गर्म किए जाने पर गंधहीन धुआ निकलता है। अदृश्य है, पास के स्थान को छोडकर, चिरस्थायी नही होती।	प्रभावो द्वारा पहचान की जाती है। फल जैसी गंध होती है प्रभावो द्वारा पहचान की जाती है। तीखी चुभने वाली गंध होती है। प्रभावों द्वारा पहचान की जाती है	सी.ए.पी.(नीचे उल्लेख किया गया है) की तरह प्रभावित करती है पर त्वचा पर इसका प्रभाव नही होता। इसके प्रभाव उपर्युक्त के.एस.के.की तरह होते हैं (जीवन को किसी प्रकार का खतरा नहीं होता)। आंखो मे जलन होती है, त्वचा पर काफी मात्रा मे तत्काल और गहरा क्षोभ होता है। के आती है, जलन होती है और छाती, ल, माथे और मसूड़ों मे दर्द होता है। बाद मे मानसिक दबाव

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Singh
Designation : Additional Collector
And Additional District Magistrate
Date: 2025.06.13 18:12:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15919603

		केवल प्रभावों द्वारा पहचान की जाती है	होता है। लेकिन 5 मिनट में ही इसके प्रभाव होते है।

जैविक युद्ध (Biological Warfare) – जैविक युद्ध में किसी शत्रु के लोगों को उसके पालतू और अन्य पशुओं को मारने, उन्हें विकलांग बनाने या उन्हें क्षति पंहुचाने के लिए या फसलों को नष्ट करने के लिए रोग उत्पन्न करने वाले जीवित रोगाणु या उनसे उत्पन्न होने वाले रोगाणु का सप्रयोजन प्रयोग किया जाता है। ये जीवाणु स्वतः ही कम समय मे अधिकाधिक संख्या मे उत्पन्न होते रहते हैं तथा महामारी का रूप ले लेते हैं।

➢ **जैव युद्ध का उद्देश्य** :–

- मनोबल गिराने और आंतक फैलाने के लिए।
- चुने हुए लोगों जैसे औद्योगिक कामगारों आदि को विकलांग बनाने के लिए।
- लोगों पर किए जाने वाले सामान्य आक्रमण के एक भाग के रूप में।
- फसलों और पशुओं पर आक्रमण करके खाद्य पदार्थों की कमी उत्पन्न करने के लिए।

➢ **नागरिक सुरक्षा मे जैव युद्ध से बचाव** – किसी भी राष्ट्र मे युद्ध के हमलों को रोकने का कार्य सेना द्वारा किया जाता है फिर भी तोड़फोड़ जैव युद्ध की आशंका के बचाव के लिए प्रत्येक नागरिक को सतर्क रहना आवश्यक है। नागरिक सुरक्षा द्वारा प्रशासन की सहायता से रोग फैलने के तरीकों एवं उनसे बचाव के तरीकों की जानकारी का कड़ाई से पालन नागरिक सुरक्षा कार्यों के माध्यम से कराई जावेगी। प्रशासन द्वारा चिकित्सा विभाग की सहायता से पानी खाद्य पदार्थो की जांच का कार्य समय–समय पर किया जाते हुए पुलिस और सेना की सहायता से साथ ही आमजन के सहयोग से पानी और खाद्य पदार्थो का रोगाणुओ से बचाव कराया जावेगा। पानी का जीवाणविक विश्लेषण बचाव में सहायक हो सकता है, साथ ही पानी का समुचित क्लोरीनीकरण भी कराना आवश्यक है।

➢ जैविक युद्ध से सामान्य बचाव

- रोग का पता शीघ्रता से प्रारंभिक चरण में लगाना।
- आम जन को एक दूसरे के सम्पर्क में आने से रोकना।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Singh
Designation : Additional Collector
And Additional District Magistrate
Date: 2025.06.13 18:12:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15919603

- दूषित खाद्य पदार्थ, पानी के नमूनो की जॉच हेतु अतिरिक्त प्रयोगशाला सुविधा उपलब्ध कराना।
- सम्बंधित रोग के टीकों की समुचित व्यवस्था करवाना तथा सूचना विभाग द्वारा टीके के प्रति सक्रियता जाग्रत करना।
- संक्रमणित फसलों व पशुओं को नष्ट करना।
- अस्पताल/प्राइवेट क्लिनिकों में रोगाणुओं को निष्प्रभावित करने हेतु पर्याप्त औषधियों का भण्डारण करवाना
- रोगाणु श्वास द्वारा त्वचा के सम्पर्क में आने पर एवं कीटों के काटने से शरीर में प्रवेश करते हैं इस रोगाणु रोधक ''नासा पैड'' प्रयोग में लाना।
- आश्रय स्थलों को समुचित प्रतिरोधक बनाना एवं दूषित वस्तुओं की सूची बताते हुए उनके प्रयोग पर प्रतिबन्ध की चेतावनी देना।
- चिकित्सा विभाग औषधियों के समुचित वितरण एवं भण्डारण के लिए योजना बना कर कार्यवाही करना।
- नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा जानकारी के अनुसार वार्डन के माध्यम से जैव युद्ध एवं उसके बचाव की जानकारी आमजन तक पहुॅचाने का कार्य करेगा।

जैव युद्ध से मनुष्य, पशुओं व पौधों तथा फसलों पर रोगाणुओं का प्रभाव

मनुष्य पर रोगाणुओं का प्रयोग	**पशुओ पर रोगाणुओ का प्रयोग**	**पौधों और फसलों पर रोगाणुओं का प्रयोग**
जीवाणु : • वैंसीलस एन्थरेसिस (गिलटी) • साल्मोनेला टाइफॉस (टाइफॉइड) • पास्बुरेला पेस्टिस (प्लेग) • थिब्रियो कॉमा (हैजा) **विषाणु (वाइरस)** : • एन्फ्ल्यूएंजा विषाणु (एन्फयूएंजा) • संक्रमी यकृत शोंध का विषाणु (पीलिया) (वाइरस ऑफ इन्फेक्टिव हेपाटाइटिस) • मसूरी का विषाणु (चेचक) (वैरिऑला वाइरस) **रिकेट्रिसया** : रिकेट्रिसयल प्रीवेजकी (महामारीवाला टाइफस)	**जीवाणु** : • वैसीलब एन्थेसिए (गिलटी) • ब्रुसेला ग्रुप ब्रेसेलारूग्णता (ब्रेसेलोसिस) **विषाणु (वाइरस)** : • मुख पाद रोग विषाणु • पशुप्लेग विषाणु (कैटल प्लेग) (रिंडरपेस्ट वाइरस)	• हैलमिन्थोस्पोरयम ऑरिजेई (चावल पर) • पाइरिकुलेरिया ऑरिजेई (चावल पर) • कार्नीलैक्टीयरियम सेपेडॉनिकम (आलू पर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Singh
Designation : Additional Collector
And Additional District Magistrate
Date: 2025.06.13 18:12:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15919603

जीवविष (टॉक्सिन) : • बॉटुलियन जीवविष (बाटुलिज्म) • स्टेफिलोकॉकस जीवविष (अन्नविषाक्तता)		

परमाणु युद्ध (Nuclear Warfare) – परमाणु बम में यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 की जब बमबारी की जाती है तो उसमें से ऊष्मान गामा किरणों, एक्स किरणों और कौंध के रूप में दिखाई देने वाले प्रकाश के रूप में बहुत बड़ी मात्रा में परमाणु निकलती हैं। तापमान लगभग दस मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक पंहुच जाता है, जो अपने आसपास की प्रत्येक वस्तु को वास्तव में पिघला देता है और कई मिलियन वायुमंडलीय दाब उत्पन्न करता है। परमाणु बम के विस्फोट से प्रकाश और ऊष्मा विकिरण, विस्फोट एवं तत्काल और विलंबित विकिरण इत्यादि प्रकट होते हैं।

- **ऊष्मा के प्रभाव** – जब कोई न्यूक्लीय अस्त्र अधिस्फोटित होता है तो कुल ऊर्जा का 35 प्रतिशत तेज ऊष्मा और प्रकाश के रूप में निकलता है। यह ऊर्जा आग के गोले के रूप में निकलती है। किसी भी परमाणु बम ऊष्मा की लहर लगभग 1, 1/2 सैकंड तक रहती है पर बड़ी क्षति पहले आधे सैकंड के दौरान होती है। यह कौंध के रूप में होती है और इसकी गति प्रकाश की गति के समान होती है। ऊष्मा की लहर के बने रहने की अवधि अनुमाप विधि के अनुसार बढ़ती है। किसी 10 मेगाटन के बम से निकलने वाली ऊष्मा 20 सैकंड तक रहती है और इसके कारण बड़ी क्षति पहले 10 सैकंड के दौरान होती है।
- **प्रारंभिक और द्वितीयक आग** – घटना स्थल के आसपास कुछ दूरी तक प्रत्येक वस्तु आग द्वारा पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं। इससे लगभग 01 मील क्षेत्र में आग लग जाती है, जिसे प्रारम्भिक आग के रूप में जाना जाता है। द्वितीयक आग की स्थिति में इमारतें गिरने, घरेलु आग लगने, गैस के पाइप फटने और बिजली के तार के शॉर्ट सर्किट हो जाने इत्यादि कारणों से आग लग जाती है।
- **परमाणु बम के विस्फोट का प्रभाव** –
  - इससे कुल ऊर्जा का 45 प्रतिशत विस्फोट झटके के रूप में होना।
  - उक्त झटके दो चरणों में होते हैं – 1. दाब और 2. चूषण।
  - इमारत का विस्फोट के झटके सहन करने का सामर्थ्य जिसमें इमारत की मजबूती, आकार और खुले भागों (दरवाजे व खिड़कियां आदि) पर निर्भर करता है।
  - The effects of Nuclear explosion can conveniently be divided into followings: -
    (a) Blast effect -45%
    (b) Heat effect -35%
    (c) Radiation effect -20% (5% Initial & 15% Residual Radiation)

Three Friends of Nuclear Warfare	**Three Rules for Protection Against External Radiation**	**Three Rules to Prevent Intake of Radioactive Materials:**	**Full Turnout Gear.**

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Singh
Designation : Additional Collector And Additional District Magistrate
Date: 2025.06.13 18:12:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15919603

• Time • Distance • Radiation	• Time - Keep exposure time as short as possible • Distance - Keep as far away as possible from the source • Source - Shield body from source wherever possible	• Use B. A. (Breathing Apparatus) sets • Do not eat, drink & smoke in contaminated area • Withdraw from radiation area if you sustain open wounds	• **Radiation sickness** • Delayed effects • Long term effects • Genetic effects	• Helmet • B.A. (Breathing Apparatus) set. • Turnout coat. • Gloves. • Turnout paint. • Rubber boots. • Radiation Survey Meters. • Eye shield.

- **मनुष्य के शरीर पर विस्फोट के प्रभाव** – मानव शरीर इमारतों की तुलना में दाब को अधिक शक्ति के साथ सहन कर सकता है, जिससे सीधे विस्फोट के कारण लोगों को अधिक चोट नहीं पंहुचेगी पर विस्फोट के अप्रत्यक्ष प्रभावों के कारण कई लोगों को चोट लगेगी, जैसे – इमारतें ढ़हना, मलवा गिरना, शीशे के टुकड़ों का उड़ना इत्यादि। इससे लगभग 02 मील के क्षेत्र में प्रभाव होंगे।
- **परमाणु युद्ध – विकिरण प्रभाव** – जमीन पर या जमीन के निकट किसी भी परमाणु अस्त्र के अधिस्फोटित होने पर ऊपर उठने वाला आग का गोला जमीन से बहुत सारी मिट्टी और अन्य सामग्री अपने साथ ऊपर ले जाता है। यह समस्त सामग्री रेडियोधर्मी हो जाती है और किसी ऐसे बड़े क्षेत्र में गिरती है जिसके ऊपर बादल चलते रहते हैं। रेडियोधर्मी सामग्री के गिरने से उसके बड़ी मात्रा में फैलने का खतरा उत्पन्न हो जाता है।
- **मनुष्यों पर विकिरणों का प्रभाव** – परमाणु विकिरणें मनुष्य के शरीर की कोशिकाओं को मारकर उसके शरीर को हानि पहुंचाती हैं। मनुष्य के समस्त शरीर पर होने वाले विकिरण के जैविक प्रभाव क्रमशः निम्नलिखित चार दशाओं में स्पष्ट हो जायेंगे :–
  - **विकिरण के कारण बीमार पड़ जाना** – इसमें थकावट, मतली, अपाचन, भूख न लगना आदि इसके प्रारम्भिक लक्षण होते हैं जो उल्टी, अतिसार (दस्त की बीमारी) का रूप ले सकती है।
  - **विलंबित प्रभाव** – त्वचा के नीचे रक्तस्राव होने के कारण रक्त के दाग उभर आने से शरीर से बालों का झड़ना जैसे विलंबित प्रभाव लगभग चार सप्ताह तक होते हैं।
  - **दीर्घकालिक हानियां** – अरक्तता (अनीमिया), रक्त कैंसर, अस्थि या ऊतक विकिरण कैंसर और टयूमर इत्यादि जो सामान्यतः विकिरण होने के कई वर्ष बाद होती है। इसमें मनुष्य आयु से पहले वृद्ध हो सकता है।
  - **आनुवांशिक हानि** – यदि जननेंद्रिया और जनन कोशिकाएं जो आने वाली पीढ़ियों की वंश–आगत विशेषता को आगे बढ़ाती हैं, विकिरण से प्रभावित होती हैं व आनुवंशिक हानि होती है।
- परमाणु बम के विस्फोट के कारण विकिरण से उत्पन्न होने वाले खतरे
  - **प्रारम्भिक विकिरण**–ये विस्फोट के केन्द्र से गामा किरणों के रूप में बाहर निकलती हैं। महत्वपूर्ण होते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Singh
Designation : Additional Collector
And Additional District Magistrate
Date: 2025.06.13 18:12:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15919603

खाली जमीन (ग्राउण्ड जीरो से दूरी)	कुल मात्रा	मानव शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव
1/2 मील पर	5000 आर	यह स्थिति निश्चित रूप से विघातक होती है।
3/4 मील पर	500 आर	50 प्रतिशत घातक।
1 मील पर	100 आर	1 प्रतिशत लोगों का बीमार पड़ना।
1–1/2 मील पर	5 आर	कोई प्रभाव नहीं

- **अवशिष्ट विकिरण** – उसका अवपात (फाल आउट) – परमाणु बम के हवा में विस्फोट होने के बजाय यदि वह भूमि तल के निकट विस्फोटित होता है तो रेडियोधर्मी कण मिट्टी आदि के बड़े और भारी कणों को संदूषित कर देते हैं और ये तेजी से जमीन पर जमा हो जाते हैं। इससे उस क्षेत्र में विकिरण का खतरा उत्पन्न हो जाता है। इसमें शरीर या कपड़ों के संपर्क में आने से त्वचा जल सकती है। सांस लेने या अंतग्रहण द्वारा शरीर में प्रवेश करने पर घातक विष का कार्य करती है, जिससे तेज विकिरण रोग, आनुवांशिक रोग या मृत्यु हो जायेगी। जमीन पर जमा रेडियोधर्मी कण खुले खाद्य पदार्थों, पानी और फसलों को संदूषित कर सकते हैं।

➢ रेडियोधर्मी सामग्रियों के गिरने से रोकने के लिए संरक्षण –

- **समय** – रेडियोधर्मिता तेजी से क्षीण हो जाती है। यह लगभग 2 दिन के अंदर इसके मान का 1/100 भाग हो जाती है।
- **दूरी** – किसी भी एक समान संदूषित क्षेत्र से कुल मात्रा का 1/3 भाग 12–1/2 फुट के घेरे से प्राप्त होता है, कुल मात्रा का आधा भाग 25 फुट के घेरे से प्राप्त होता है और कुल मात्रा का 3/4 भाग 100 फुट के घेरे से प्राप्त होता है। यदि इन घेरों के भीतर दीवारें, रुकावटें या अन्य हो तो यह मात्रा कम हो जाएगी, इसलिए भीतर रहना सुरक्षा की दृष्टि से ठीक होगा।
- **आड़ बनाना** – रेडियोधर्मिता की मात्रा कम करने के लिए विभिन्न सामग्रियों द्वारा की गई स्क्रीनिंग की व्यवस्था उन सामग्रियों के घनत्व के आधार पर की जाती है। 2.2 इंच कंकरीट इस मात्रा को आधा कम कर देती है

➢ Suggested Role of District Magistrates of the Districts.

During Peace Conditions	• Assess the effects that could take place during an attack. • Prepare teams to work during disasters. • Educate the public • Evaluate resources available • Demand for extra resources from the Govt • Train the teams of officers/men from within the District for Disaster Management • Liaise with the neighboring Districts/States • Prepare the Evacuation Plans • Carryout periodical rehearsals of the Disaster Plans

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Singh
Designation: Additional Collector
And Additional District Magistrate
Date: 2025.06.13 18:12:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15919603

During an Attack	• Proper Warning System • Taking of Shelter • Arrangement of First Aid to the victims • Control Rumors & give positive information • To arrange proper NBC kit to the teams to work in NBC affected area
After the Attack	• After the blast wave had passed, there would be ample time before the start of fallout (about half an hour in the case of a large bomb). Instruct people to get into a prepared refuge against the fallout • After the blast wave had passed people should quickly inspect all rooms in the house or building, including spaces under the roof for proper sealing • Advise people to extinguish fires after the blast wave • Nagar Nigam Jaipur and Nagar Parisad/Nagar Palika of towns are responsible for disposal of dead bodies with the help of local people • Arrange for urgent repairs or weatherproofing which could be completed within half an hour. Curtains or sheets should be tacked over broken windows to keep gross amounts of fall out from being blown into the rooms. There would be no cause to worry about small amounts of fall out getting into damaged parts of the house provided it was not allowed to get into food or water consumed in the refuge room. If dust was visible later in any room it should be swept and dumped outside • Except possibly in the area damaged by a nuclear explosion, a fall out warning would be given, to indicate that fall out was imminent. After the blast wave had passed and until the imminent warning was received all necessary help and first aid should be given to neigh burs.
Work of Radiological Unit and Decontamination unit	• Remove all outer clothing and place it in a room or cupboard separate from your refuge room. It would be useful to have bags of polythene or similar material into which contaminated articles could be placed since the bags could be handled later with a much smaller risk or spreading the contamination. In removing the outer clothing care should be taken not to shake it, as this would disperse radioactive dust unnecessarily into the atmosphere. • The hands, head and neck should then be thoroughly washed and scrubbed with soap and warm water while handing over a hand basin. This washing should be repeated at least once, taking care to brush water the nails thoroughly • Removal of dust from the clothing by means of an efficient household vacuum cleaner • Seeking & stirring the clothing in a solution of household detergent either 5 minutes in a washing machine or 5 minutes vigorous stirring (with a suitable stick) in a bath bucket followed by thorough rinsing in clean water
Meteorological Department	• One should remain in the refuge for the first 2 days after the explosion or until you had been told that your district was free from radioactive fallout. If you did not receive any instructions you should stay in your refuge as long as possible (i.e. you should not remain any longer than v[illegible]ssary in other parts of your house. Above all you should not go out of doors until you receive further instructio[illegible] sm[illegible]ransistor would be handy and useful • If you do not receive instructions before the end of the third day, it might be because you were in an area of high dose rate. If so, it would be all the more necessary f[illegible]ou and your family to remain in your refuge room, to spend as little

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Singh
Designation : Additional Collector
And Additional District Magistrate
Date: 2025.06.13 18:12:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15919603

	time as possible in other parts of the house and to avoid outdoor exposure until you had been told what you might safely do • If the dose rate in your area were above certain intensity you would be told exactly when and where you would be collected. You would have to be ready at the exact time and place; otherwise, you might imperil not only your own life but also the lives of those who were accepting heavy risks carefully calculated in time, in trying to remove you and your family and neighbors

a. EVACUATION AGAINST A NUCLEAR ATTACK

(a) An estimate of the number of individuals who could be moved to practicable locations under variable conditions.

(b) Techniques and measures of control, supervision, and management needed to affect the movement of the population;

(c) Specific recommendations for improving the facilities available, for the purpose of accelerating the evacuation; and

(d) A suggested procedure and standards for use as a prototype in the conduct of comparable studies in other communities.

b. BASIC REQUIREMENTS AND ASSUMPTIONS

1. Map Study. A detailed map, study of the city and area is the logical starting point for staff consideration of evacuation problems. Features of topography that will hinder traffic will be identified, as well as natural barriers that limit direction. Highways routes should be shown in some detail and tentatively rated for adaptability to evacuation. Nearby cities, which are potential targets, should be related to the area. All staff members should be familiar with the study.
2. Definition of Evacuation Area. The size of the area to be evacuated in and around an urban target area is dependent upon the size and importance of the target. An evacuation movement study must be predicted on a realistic estimate of probable damage. Therefore an evacuation area would be a target area and the reception area necessary to support its evacuees.
3. Vulnerable Urban District. A vulnerable urban district exists under either of the following conditions of industrialization or population: -

(a) Industrialization. The area enclosed by a line drawn through centers of contiguous 4-mile diameter circles, in each of which there are enough industrial plants (having a total of 100 or more workers on all shifts) to total combined employment of 16,000 workers.

(b) Population. The area enclosed by a line drawn through centers of contiguous 4-mile diameter circles, in each of which there is a resident or daytime population of 200000 persons.

Within the 10-mile buffer zone outside of and surrounding the vulnerable urban district protective construction is a requirement for new hospitals

4. Reception Area. The areas to which people must be moved must lie beyond the outer limits of the evacuation zone. Planning of reception areas is beyond the scope of a traffic movement study and, as has been pointed out earlier, may probably be best done by city and State Civil Defence agencies concerned with health and welfare. The traffic movement plan should, however, take into account some of the requirements of reception areas. For example, evacuation routes should be checked and designated far enough into the safe area to insure connection with an adequate highway system. This facilitates radial or lateral secondary movement of evacuation traffic. The traffic study should also include data on places and volume of discharge into the overall reception area, on which detailed support planning may be ba
5. Psychological Assumptions. The question of how people will behave during evacuation has been the subject of much speculation. Questions frequently raised are: Will all the people be willing to leave the city? Will people leave if they are separated from the families? Will the behavior of drivers be rational? The committee on Disaster Studies of the National Research Council of the USA is studying disaster behavior. It is assumed then, that if a plan

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Singh
Designation : Additional Collector
And Additional District Magistrate
Date: 2025.06.13 18:12:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15919603

for evacuation traffic is adopted and thoroughly publicized, people generally will follow the plan. There is little basis yet, however, for the conclusion that emergency conditions will result in a general increase in normal abilities and skills.

6. Effectiveness. At an early stage in evacuating planning the need is evident for a means of measuring the effectiveness of the plan developed. Such a basis for appraisal furnishes an index of effectiveness. The basic quantities to be checked by use of the effectiveness index are time, distance, and people. The distribution of people under normal circumstances, movement distances required to reach safety, land rate of movement can thus be determined. Since warning time is unknown, the entire range is time from zero (in case of complete surprise in attack) to that required for persons to reach safe areas should be plotted. Several factors influence making an index. One is the availability of information necessary to carry out computation or estimation of the factors. Another is the index used in other evacuation studies; the effectiveness of several cities, evacuation plan is more easily compared if they have common indices. Individual civil defence functions such as rescue, medical, engineering and welfare might find special information in these indices useful in planning details of operation. Some indices of effectiveness are listed below: -

   (a) Total number (or percent) of survivors expressed as a function of warning time (i.e. time from warning until explosion).
   (b) Number of persons reaching the safe area expressed as a function of warning time.
   (c) Number of persons in each damage zone expressed as a function of warning time.
   (d) Number of uninjured survivors expressed as a function of warning time.
   (e) Number of uninjured survivors who will be in the safe area at some arbitrarily selected time (say two hours) after the explosion.

7. Preconditioning. It is assumed that the Civil Defence warning system is or will be effective, that all responsible persons within the evacuation area are familiar with the warning system, and that people know what they should do under the evacuation plan at any given time. This implies the existence of a simple, well-publicized plan with operating guidelines such as route markers and necessary control points adequately manned.

8. Delay Time. It is assumed that some period, probably less than a half hour elapses between the warning signal and the time evacuation movement reaches full effectiveness. During this period people will stop their normal activities, leave their homes or places of employment, and proceed to their designated transportation.

9. Direction of movement. The Administrative Authorities at district level will be held responsible to give direction for movement during evacuation as per the wind directions/weather report received from the Meterological Department.

10. Traffic Drainage Areas. It is assumed that for each one-way evacuation route passing from the city into the reception zone there is a corresponding drainage-area, or sector of the city whose traffic is tributary to that route. The area should be so selected that its generated traffic is within the capacity of the route. Stated another way, drainage areas should be designated so that all routes will be equally overloaded. This will result in the most efficient use of the route system. Neither evacuation routes nor boundaries between drainage areas should be crossed, except by authorized emergency vehicles. This does not preclude movement of vehicles by other than primary routes (i.e. streets other than the final exit from the evacuation area) from the A and B zones to C and D zones or beyond. This moves a large percentage of the total population to areas of less hazard from the primary weapons effects.

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Singh
Designation : Additional Collector
And Additional District Magistrate
Date: 2025.06.13 18:12:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15919603

11. Route Capacity. It is assumed that the route capacity, under ideal conditions is 1,000 vehicles per lane per hour that the probable capacity under average conditions is 800 vehicles per lane per hour and that such capacity will be reduced to 500 vehicles per lane per hour under emergency conditions. For different routes capacity may vary widely, depending on different roadway and traffic conditions. Capacity is the product of traffic density and speed of movement. Possible capacity is expressed as the maximum number of vehicles that can pass a given point on a lane or roadway during 1 hour under the prevailing roadway or traffic conditions. There is substantial evidence that the largest number of vehicles that can pass a point one behind the other in a single traffic lane, under ideal conditions, is between 2,000 and 2,200 passenger cars. Sustained hourly volumes in this range have rarely been observed, although the traffic demand has been sufficient to exceed them on many occasions. This ideal capacity can be approached only under the following conditions: -

(a) That there are at least 2 lanes for the exclusive use of vehicles traveling in 1 direction.
(b) That all vehicles travel 30 to 40 miles per hour.
(c) That there is adequate width of traffic lanes, shoulders, and clearance of vertical obstructions.
(d) That there are no restrictive sight distances, grades, improperly super elevated curves, inter-sections, or interference by pedestrians.

12. Conditions. The evacuation traffic movement plan should be able to function effectively at any time it might be put into operation. To assure this, it must be designed to cover a range of conditions, including those prevailing when the warning would probably be received. Examination of the plan in light of several variable conditions may reveal the need for special provisions or even complete changes in the plan.

13. Time. Because of movement of people to and from areas by night and day, both distributions of people and vehicles should be examined. Areas of the city, which are deficient in transportation during either of these times, should be given supplemental arrangements under the plan.

14. Strategic Evacuation. Individuals might undertake this type of evacuation voluntarily on a limited scale recommended by local governments in case of threat of attack.

15. Route Improvements. Improving highway routes can accelerate evacuation of an area. Varying stages of improvement can be expected. A quantitative appraisal of their extent and effectiveness will indicate the degree of acceleration of evacuation they add to the plan.

16. Wind Directions. The Meterological Department will be held responsible for intimation about wind directions regularly to the Administrative Authority and Shelter Manager.

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Singh
Designation : Additional Collector
And Additional District Magistrate
Date: 2025.06.13 18:12:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15919603

जिले में हवाई हमले/आपदा की दृष्टि से खतरे वाले महत्वपूर्ण क्षेत्र/महत्वपूर्ण स्थान (Vital Areas (VAs)/Vital Points (VPs) की सूची :–

S.No.	Name of VA/VPs	Name of Area	No. of VA/VPs	Assessed Priority
1-	Naval Establishment including Dockyard, Store Depots, Magazine, Port war signal Stations, Naval Airfields Coast Guard Establishment	NIL	NIL	NIL
2-	Air Force Establishments, Air Force Airfields, Store Depots, Magazines etc.	NIL	NIL	NIL
3-	Public Undertakings under the Ministry of Defence	NIL	NIL	NIL
4-	Public Sector Under the Ministry of Defence	NIL	NIL	NIL
5-	Commn Nodes Postal/Telegraph/ Telephones Key Points	1. Chungi, Bharatpur Road, Deeg 2. Tiraha in front of Bijli Ghar, Near Jal Mahal 3. Ganesh Mandir, Singhpol Gate, Deeg 4. Shahid Smarak, Deeg 5. Chungi,Govardhan Gate, Deeg 6. Laxman Mandir, Main Bazar, Deeg 7. Near Cinema Hall, Kaman Road, Deeg	07	B
6-	TV & Radio Stations	Radio Station (Aakashwani Centre), Nai Sadak, Deeg	01	C

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Singh
Designation : Additional Collector
And Additional District Magistrate
Date: 2025.06.13 18:12:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15919603

7-	Bridges/ Rope-way/Railway Station	1. New Bus Stand, Deeg 2. Railway Station, Deeg	02	B
8-	Petroleum & Natural Gas	NIL	NIL	NIL
9-	Mines & Gas works	Mining Area in 08 in Pahadi, 02 in Sikri, 01 in Nagar	11	C
10-	Electric Power Station/ Grid Sub Stations	JVVNL Office Deeg	01	B
11-	Water Supply/Sewage key points	1- Water Resource Department, Deeg 2- PHED office, Deeg	02	B
12-	Internment Camps	NIL	NIL	NIL
13-	Civil Airfields & Est.	NIL	NIL	NIL
14-	Govt factories/ Industrial Installaltions	NIL	NIL	NIL
15-	Food & Oil Storage Depots	1. Food Corportation, Deeg 2.Kishanlal Chandra Shekhar Petrol Pump, Deeg	02	B
16-	Dams, Barrages	List Enclosed	34	C
17-	Treasuries/Banks/ Commercial Markets	1.Treasury Office, Deeg 2. PNB Bank Nai Sadak , Deeg 3.SBI Bank , Kaman road, Deeg 4.SBI 2nd Branch, Nagar, Deeg	08	B

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Singh
Designation : Additional Collector
And Additional District Magistrate
Date: 2025.06.13 18:12:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15919603

		Deeg 5. HDFC Bank Mela Ground Deeg 6.Bank Of Baroda, Near raja man singh samadhi , Deeg 7.Canara Bank , Main Market, Deeg 8.Bank Of India, Deeg		
18-	Pvt Factories/ Industrial Installations	RIICO Industrial Area, Deeg	01	B
19-	Facilities of the Department of Space	NIL	NIL	NIL
20-	Atomic Energy Est.	NIL	NIL	NIL
21-	Imp. Govt. Buildings	1.Govt. Hospital, Deeg 2.Collectorate, Deeg 3.Sp Office, Deeg	03	B
22-	Miscellaneous key points	1.Jal Mahal, Deeg 2.Laxman Mandir, Deeg 3.Ganesh Mandir, Deeg 4.Main Market, Deeg	04	B
23-	Metro Rail	NIL	NIL	NIL
24-	Fertilizers Industries	NIL		NIL
25-	Any other special from your perspective	NIL		NIL

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Singh
Designation : Additional Collector And Additional District Magistrate
Date: 2025.06.13 18:12:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15919603

क्र.सं.	नाम स्वयंसेवक	बै.नं	मोबाईल नं.
1.	लाखन सिंह	428	8126936158
2.	लखन सिंह	417	8442074260
3.	अशोक कुमार	416	6350473589
4.	सत्यप्रकाश सैनी	415	9694344870
5.	मुरली सैनी	427	6978891302
6.	खजान सिंह	426	7297054031
7.	राजेश सैनी	419	9785207327
8.	परशुराम	414	8426802524
9.	शैलेन्द्र कुमार	418	9785997492
10.	विष्णु	352	7724829243
11.	गौरव सैनी	305	7240642737
12.	सौरभ	366	8000927376
13.	गजेन्द्र कुमार	420	9509217447
14.	मनोज सैनी	421	7425085385
15.	उमाशंकर सैनी	422	8905503307
16.	शंकर सैनी	423	9929273707
17.	दीनदयाल सैनी	424	9785976880
18.	संजय सैनी	425	8441071889
19.	अशोक कुमार	18	8290559748
20.	हरभान सिंह	69	9414584046
21.	नरेश कुमार	16[illegible]	[illegible]891921942
22.	लोकेन्द्र कुमार	168	[illegible]3626422
23.	पवन कुमार	251	9745959340

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Singh
Designation : Additional Collector
And Additional District Magistrate
Date: 2025.06.13 18:12:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15919603

24.	रिंकु सिंह	259	7014945068
25.	देवेन्द्र बंसल	280	8104625615
26.	ओम प्रकाश	299	6377674801
27.	दिनेश कुमार	303	9928744761
28.	अनिल कुमार	304	8824910374
29.	विक्रम सिंह	307	9928026407
30.	अंकुश कुमार	308	9358331542
31.	धीरज सिंह	373	9799812940
32.	थान सिंह	391	7790989132
33.	रामरोसी	405	8104945977
34.	प्रशांत	306	7891565430
35.	सुमित कुमार	406	9887940576
36.	रमेश चन्द	407	7240691966
37.	हेमचन्द शर्मा	408	9982379706
38.	बृजेश कुमार	409	960219002
39.	शशिकांत	410	99297892235
40.	विनोद कुमार	411	7878004950
41.	डिगम्बर सिंह	412	9588058844
42.	पंकज कुमार	413	9694262656
43.	कौशल शर्मा	485	9694683543
44.	योगेश सैनी	324	7877936871
45.	अखलेश सिंह	339	7073130276
46.	खेमचन्द	346	9982705625
47.	आशा	81	7668926621
48.	रामनिवास पान्हौरी	3[illegible]	40218165

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Singh
Designation : Additional Collector
And Additional District Magistrate
Date: 2025.06.13 18:12:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15919603

जिले में नागरिक सुरक्षा उपलब्ध बचाव उपकरणों व अन्य संसाधनों की सूची

क. स.	नाम वस्तु	तादात
1.	नेट	04
2.	रस्से	04
3.	बिलाई	01
4.	सब्बल	01
5.	स्ट्रेचर	02
6.	लाल कम्बल	04
7.	फस्टेड बाक्स	01
8.	ड्रेगन लाईट	02
9.	लाईफ जैकेट	04
10.	लाईफ व्यॉज	04
11.	हेलमेट	04
12.	फेस मास्क	04
13.	गेती	02
14.	फावडा	01
15.	बेल्चा	02
16.	रोप लेडर	02
17.	दरी	02

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Singh
Designation : Additional Collector And Additional District Magistrate
Date: 2025.06.13 18:12:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15919603

18.	पुली	03
19.	सैफटी कोन	04
20.	गम बूट	04
21.	दस्ताने	04
22.	डी–रिंग	02
23.	OXY-99	05
24.	LED Safety Helmet with torch	01
25.	Safety Chain	10
26.	Fire Blanket	01
27.	First Aid Kit	02
28.	Safety Jacket	01
29.	Green Safety Jacket	02
30.	Battery Operated LED	01
31.	Nylon Rope	01
32.	Caution Tape	01
33.	Rechargable Safety Torch	02

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Singh
Designation : Additional Collector
And Additional District Magistrate
Date: 2025.06.13 18:12:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15919603

सूखा

Preparedness of Contingency Plan

1. Water . सूखा की स्थिति में जिले के प्रभावित क्षेत्रों टेंकरों के माध्यम से पेयजल परिवहन किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

2. Health .

- **पशुपालन विभाग** – डीग जिले में वर्तमान में पशुपालन विभाग द्वारा पशुओं के स्वास्थ्य हेतु 01 बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय, जिनमें बीमार पशुओं को विभिन्न प्रकार की दवाईयां निःशुल्क उपलब्ध करा पशुपालकों को लाभान्वित किया जा रहा है। वर्तमान में कोई आउटब्रेक की सूचना नहीं है।

- **चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें** – किसी भी आपदा से निपटने के लिये जिला स्तर पर एक रेपिड रेस्पोन्स टीम का गठन किया गया है। उक्त टीम मय समुचित औषधियों के आवश्यकता पड़ने पर प्रभावित क्षेत्र में प्रस्थान कर आवश्यक चिकित्सा उपलब्ध करायेगी। जिला मुख्यालय की टीम के अलावा सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भी रेपिड रेस्पोन्स टीम का गठन किया गया है। सामान्य चिकित्सालय एंव सभी राजकीय चिकित्सलय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रभारियों को रोगियों के उपचार हेतु वार्डों में सभी प्रकार की समुचित व्यवस्था रखने हेतु निर्देशित किया जा चुका है। पर्याप्त मात्रा में सभी आवश्यक दवाईयां उपलब्ध करा दी गई हैं। जिले के सभी 6 ब्लॉकों में नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी हैं।

3. Power/Energy -

- जल स्त्रोतों के लिये विद्युत व्यवस्था को नियमित रूप से आवश्यकतानुसार चालू रखने की व्यवस्था की गई है।
- जल स्त्रोतों के लिये स्थापित लाईन एंव ट्रांसफार्मर को खराब होने पर तुरन्त प्रभाव से दुरूस्त करने हेतु वृत भण्डार में प्रचुर मात्रा में सामान रखा गया है।
- जलदाय विभाग द्वारा जमा पत्रावलियों के कनेक्शन 7 दिवस में जारी करने हेतु सहायक अभियंताओं को निर्देश दे दिये गये हैं, जिसके लिये सामान की उपलब्धता को सहायक अभियन्ता कार्यालय में सुनिश्चित कर दिया गया है।
- कृषि के निर्धारित ब्लॉकों में विद्युत सप्लाई दी जा रही है तथा कृषि के लिये ब्लॉकों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। यदि भविष्य में सूखा पड़ता है, तो राज्य सरकार द्वारा पुनः निर्धारित ब्लॉकों में समुचित विद्युत सप्लाई दी जायेगी।
- **सूखा से पूर्व तैयारी**

क्र. सं.	पूर्व तैयारी	उत्तरदायी अधिकारी
1	भू राजस्व नियमावली के अनुसार फसलों की गिरदावरी एवं आपदा की सूचना तहसीलदार को उपलब्ध कराना	ग्राम पटवारी
2	मौसम पर निगाह रखने का कार्य, संकेतों की पहचान और क्षेत्र की आवश्यक जानकारी तहसीलदार को उपलब्ध कराना	गिरदावर
3	पटवारी एवं गिरदावर द्वारा प्रस्तुत गिरदावरी का व्यापक परीक्षण, वर्षा का मापन, मौसम के मिजाज एवं फसलों की स्थिति की साप्ताहिक रिपोर्ट उपखण्डाअधिकारी के माध्यम से जिला कलक्टर को प्रस्तुत करेगा	तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Singh
Designation : Additional Collector And Additional District Magistrate
Date: 2025.06.13 18:12:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15919603

4	क्षेत्र के किसी विभाग में फसलों में भारी खराबा होने की सम्भावना हो अथवा खराबा दिखाई देने की कोई रिपोर्ट प्राप्त हो तो तत्काल मौके पर पहुॅच कर अपने अवलोकन व परिमाणों की रिपोर्ट कलक्टर को देना	उपखण्ड अधिकारी
5	जिले की वर्षा, मौसम सम्बन्धी साप्ताहिक रिपोर्ट, वर्षा की मात्रा, कृषि कार्यों की प्रगति, खाद्यान्न एवं चारा मूल्यों में उल्लेखनीय उतार चढ़ाव, कीड़ों द्वारा फसल में की गई हानि, पशुओं को पीने के पानी की आपूर्ति आदि का साप्ताहिक नोट जिला कलक्टर को प्रस्तुत करेंगे।	प्रभारी अधिकारी, भू–अभिलेख, अति0 कलक्टर, प्रशासन
6	भू अभिलेख नियमावली के अनुच्छेंद 328 में दिये निर्देशानुसार स्थिति का पाक्षिक प्रतिवेदन सहायता, विभाग को प्रस्तुत करेंगें। मौसम के आरम्भ में वर्षा की प्रगति, और कृषि कार्यों का अन्वेक्षण जिला स्तरीय वेदरवाच ग्रुप करेगा	जिला कलक्टर
7	जिले के किसी भी भाग में संकट के प्रारंभिक संकेत दृष्टिगोचर होने लगें तो साप्ताहिक स्थिति, सहायता विभाग को प्रस्तुत की जावेगी।	जिला कलकटर

लू बहुत अधिक समय तक गर्म वातावरण में रहने अथवा कार्य करने से मस्तिष्क की तापमान नियंत्रित करने की क्षमता से अधिक गर्मी होने के कारण लू लगती है।

गर्मी के प्रभाव (HEAT-Exhaustion) सिर में दर्द, चकक्र आना, जी मिचलाना, उलटी, कमर में दर्द, शक्तिहीनता, मूर्छित हो जाना, चमडी पीली, ठण्डी व गीली व चिपचिपी होना। शरीर का तापमान सामान्य से कम अथवा अधिक हो जाना। सांस की गति तेज व सांस छिछली होना। नाडी की गति तेज व दबाव कम होना।

लू लगना (HEAT Stroke) लू की स्थिति अचानक उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में सिर में दर्द उलटी व व्यक्ति मूर्छित हो सकता है। चमडी लाल व गर्म हो जाती है। शरीर का तापमान 107 डिग्री फारेनहाईट या उससे अधिक हो जाता है। गर्मी एवं लू से बचाव ही उपाय है। सूर्य की तेज धूप मे घूमने से बचें भोजन करके बाहर निकलें, खाली पेट धूप मे न जायें, गर्म वातावरण में अधिक देर तक रहने व कठिन कार्य करने से बचें। सिर को ढक कर रखें । तरल पदार्थो का उपयोग करें। सुरक्षा के उपायो को ध्यान मे रखा जावे।

लू से बचाव हेतु पूर्व तैयारी

क्र.सं.	पूर्व तैयारी	उत्तरदायी अ[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Singh
Designation : Additional Collector
And Additional District Magistrate
Date: 2025.06.13 18:12:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15919603

1	मौसम के बदलाव एंव दैनिक तापक्रम पिछले तीन वर्षों के औसत से ज्यादा होने पर चेतावनी एंव प्रतिदिन मौसम के बदलाव की उक्तानुसार तुलना करते हुये सूचना जिला प्रशासन को देना। (प्रभारी अधिकारी, आ0प्र0एंव सहा0/पीआरओ भरतपुर)	ए.पी.आर.ओ
2	जनसाधारण को गर्मी के संभावित कुप्रभावो की जानकारी देने व विभिन्न संचार माध्यमो के द्वारा सावधानियों क्या करे क्या न करे के बारे में समय–समय पर सूचित कर सचेत करना।	अति. जिला कलक्टर
3	स्वास्थ्य सेवाओ से जुडी संस्थाओ को गर्मी में काम आने वाली दवायें व अन्य वस्तुयें उचित मात्रा में तुरन्त उपलब्ध करावें।	पी.एम.ओ./सी.एम.एण्ड.एच.ओ. डीग
4	स्वास्थ्य कर्मचारी गर्मी से प्रभावित लोगो के निदान के प्रति सचेत रहें।	पी.एम.ओ./सी.एम.एण्ड.एच.ओ. डीग
5	कार्य व समय का पुनः निर्धारण	जिला प्रशासन
6	गर्मी में दोपहर के समय होने वाले जन साधारण के समारोह तथा कार्यक्रमों पर रोक लगाऐं।	समस्त उपखण्डाधिकारी, डीग
7	चल चिकित्सालय, पुलिस, शमन सेवाऐं व एम्बुलेन्स इत्यादि तैयार रखें।	पी.एम.ओ./सी.एम.एण्ड.एच.ओ. / एस.पी., डीग
8	मजदूरी करने वालो के कार्य करने का समय सुबह व शाम रखें।	सी.ई.ओ. जिला परिषद/ सार्वजनिक निमार्ण विभाग/जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग/ सिंचाई/विद्युत/नगर निगम /नगरपालिकायें/वनविभाग डीग
9	निजी क्षेत्र मे कार्यरत स्वास्थ्य संस्थानों/गैर सरकार संस्थाओ इत्यादि के सहयोग से लोगों को शिक्षित करना व उनमें चेतना लाना।	पी.एम.ओ./स[illegible]ओ. डीग

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Singh
Designation : Additional Collector
And Additional District Magistrate
Date: 2025.06.13 18:12:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15919603

10	दीर्घकालीन उपाय शहरो, कस्बो व गॉवो मे सडक के किनारों पर छायादार पेड लगाने का व्यापक अभियान व जगह–जगह पानी पिलाने के लिए प्याऊ खोलें।	नगरपरिषद/नगरपालिकायें/ सीईओ जिला परिषद/सा.नि.वि. /वन विभाग, डीग
11	जगह–जगह शेल्टर एंव शेड बनाने के लिय	पीएचईडी
12	शेडयुक्त बस स्टॉप एंव गर्मी से प्रभावित मरीजों को नजदीकी चिकित्सा संस्थानों तक परिवहन व्यवस्था/ प्याऊ की व्यवस्था।	परिवहन विभाग
13	धार्मिक स्थलों में कूलर/पंखों एंव शीतल पेयजल की व्यवस्था।	देवस्थान विभाग/वक्फ बोर्ड
14	मौसम के अनुसार ग्रीष्मावकाश एंव स्कूलों का समय निर्धारित करना।	जिला कलक्टर एंव शिक्षा विभाग

शीत लहर मौसम में होने वाले अचानक परिवर्तन के प्रति सजग रहें। सावधानियॉ बरते, संचार माध्यमो से मौसम की जानकारी लेते रहें, कपडे कई परतो में पहने, सिर ढक कर रहें, पशुओ को शेड आदि में रखें।

प्रशासन द्वारा की जाने वाली पूर्व तैयारी

क्र.सं.	पूर्व तैयारी	उत्तरदायी अधिकारी
1	तापक्रम के गिरावट के पूर्वानुमान की सूचना जिला प्रशासन को प्रतिदिन देना। (जिला कलक्टर एंव पीआरओ)	ए. पी. आर. ओ.
2	मौसम के अनुसार शीतकालीन अवकाश व स्कूलों का समय निर्धारित करना।	जिला कलक्टर एंव शिक्षा विभाग
3	गरीब जरूरत मन्द व बेघर लोगो को जिनके शीतलहर से पीडित होने का खतरा होता है। उनको रैन बसेरे के रूप मे शरण स्थल उपलब्ध कराना।	नगर निगम व नगर पालिकाये, जिला डीग
4	खुले स्थान पर बेसहारा लोगो को कम्बल आदि के वितरण हेतु स्वंय सेवी संस्थाओ को प्रेरित करने का कार्य एवं व्यवस्था।	जिला कलक्टर, डीग

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Singh
Designation : Additional Collector
And Additional District Magistrate
Date: 2025.06.13 18:12:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15919603

5	विभिन्न जन संचार माध्यमो द्वारा जनसाधारण तक समय–समय पर क्या करें क्या न करें की जानकारी देने का कार्य।	जिला सूचना जनसम्पर्क अधिकारी, डीग
6	भ्रमण शील इकाई गश्त पर लगाई जावे, जो लोगो को आवश्यक सहायता प्रदान कर सके।	अतिरिक्त कलक्टर प्रशासन/डी.एस.ओ. डीग
7	जनसाधारण को अध्यापकों, छात्रों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, ग्राम पंचायत एंव स्वंयसेवी संस्थाओं के माध्यम से शीत के दुष्प्रभावों व बचने के उपाय के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा देकर जागरूकता अभियान चलाना।	चिकित्सा/शिक्षा/पंचायती राज विभाग/स्वयंसेवी संस्थायें
8	रैन बसेरों में उपचार व्यवस्था करना।	पीएमओ एंव सीएमएचओ
9	शेडयुक्त बस स्टॉप एंव सर्दी से प्रभावित मरीजों को नजदीकी चिकित्सा संस्थानों तक परिवहन व्यवस्था।	परिवहन विभाग

बिजली का गिरना

क्र.सं.	पूर्व तैयारी	उत्तरदायी अधिकारी
1	घटना की सूचना भिजवाना	पुलिस
2	आकाशीय बिजली से हुए घायल पशु एवं मानवो की चिकित्सा व्यवस्था।	उपनिदेशक पशुपालन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
3	आकाशीय बिजली गिरने से मृतकों के परिजनो को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।	एस.डी.ओ. /तहसीलदार
4	मृत पशुओं का निस्तारण एवं बीमा हेतु प्रोत्साहित करना।	उपनिदेशक पशुपालन, नगर निगम, नगर पालिकायें,
5	टूटी हुई विद्युत लाईन एवं टेलीफोन लाईन की पुर्नस्थापना।	अधीक्षण अभियन्ता, जी.वी.वी.एन.एल/महाप्रबंधक बी.एस.एन.एल

भूकम्प निवारक उपाय

भूकम्प से मकानो में क्षति न हो अथवा कम क्षति हो, इसके लिए स्थानीय प्रशासन के [illegible] संरत अभियन्ताओ एवं विशेषज्ञो की देखरेख में भूकम्प प्रतिरोधी निर्माण किया जावे। बने हुए भवनो में भी भूकम्प प्रतिरोधी तकनीक से [illegible] किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Singh
Designation : Additional Collector
And Additional District Magistrate
Date: 2025.06.13 18:12:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15919603

घर के अंदर या घर के बाहर जहॉ पर आप ज्यादा समय गुजारते हैं, सुरक्षित स्थान देख लें। भूकम्प के समय जितनी कम दूरी आपको तय करनी पडेगी उतने ही सुरक्षित आप होगें। भूकम्प कहीं भी किसी भी समय आ सकता है इसके लिए तैयार रहें।

बच्चो को भी स्कूल के अंदर या आसपास सुरक्षित स्थानो के बारे में अवगत करायें ताकि भूकम्प के समय वे सुरक्षित स्थान पर जा सके।

ज्वलनशील पदार्थो को सुरक्षित बक्से में रखें। आपातकाल के लिये आवश्यक भोजन, प्राथमिक चिकित्सा उपचार, दवाईयॉ आदि सुरक्षित स्थानो पर रखें। परिवारो के सभी सदस्यो को आपदा से निपटने के लिये प्रशिक्षित किया जावे।

भूकम्प की पूर्व तैयारी

क्र. सं.	**पूर्व तैयारी**	**उत्तरदायी अधिकारी**
1	भूकम्प की सूचना/पूर्वानुमान की सूचना से जिला प्रशासन को अवगत कराना।	निदेशक, सरसों अनुसंधान केन्द्र, डीग
2	विभिन्न प्रकार के भवन आदि के निर्माण और डिजाइन संबंधी संहिता को लागू करना	नगर सुधार न्यास/ नगरपरिषद /सानि.वि./ सिंचाई विभाग/राजस्थान आवासन मण्डल/ जिला परिषद अन्य सभी कार्यकारी एजेन्सी, डीग
3	भूकम्प इंजीनियरयरिंग के सिद्धान्त व संहिता के प्रयोग के लिये वास्तुकार एवं इंजीनियर को प्रशिक्षण देना।	अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि. डीग
4	पहले से बने हुए मकान आदि के सुदृढता का विकास करना।	नगर सुधार न्यास/ नगरपरिषद /सानि.वि./सिंचाई विभाग/राजस्थान आवासन मण्डल/जिला परिषद अन्य सभी कार्यकारी एजेन्सी, डीग
5	भवनो के निमार्ण एवं पुर्नद्धार एवं सम्भावित नुकसान को कम करने के लिये भूकम्प संबंधी बीमा करवाना।	समस्त कार्यकारी एजेन्सी एवं बीमा कम्पनियां डीग
6	भूकम्प प्रभावित क्षेत्रो में जोखिम का आंकलन कर भूकम्प से सुरक्षा सावधानियॉ जानकारियॉ उपलब्ध कराना, जन जाग्रति पैदा कराना,	जिला सॉख्यिकी अधिकारी /पी.आर.ओ. डीग

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Singh
Designation : Additional Collector
And Additional District Magistrate
Date: 2025.06.13 18:12:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15919603

7	भूकम्प प्रतिरोधी मकान बनाने संबंधी सरल तकनीक की प्रर्दशनियां लगाना, भूकम्प प्रतिरोधी मकानो के नमूनो का प्रदर्शन,	अधीक्षण अभियन्ता पी.डब्ल्यू.डी.
8	कारीगरों को भवन निमार्ण मे भूकम्प प्रतिरोधी तकनीक अपनाने का प्रशिक्षण देना।	अधीक्षण अभियन्ता पी.डब्ल्यू.डी.

अग्निकाण्ड से पूर्व तैयारी

क्र. सं.	पूर्व तैयारी	उत्तरदायी अधिकारी
1	तहसील मुख्यालय से संबंधित ग्राम की दूरी तथा वहां से तहसील पहुंचने के समय का आंकलन रास्तों की स्थिति आदि की सूचना तथा अग्नि शमन वाहन के लिए रास्ते आदि की उचित व्यवस्था	स्थानीय सरपंच, ग्राम सेवक, पटवारी
2	सार्वजनिक व निजी जल स्रोतों की उपलब्धता	सरपंच, सचिव, जलदाय विभाग का स्थानीय प्रभारी
3	स्वयं सेवको की सूची तहसीलदार को उपलब्ध कराना	पटवारी
4	ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध अग्नि शमन संसाधन तैयार रखना	सरपंच, सचिव
5	स्थानीय स्तर पर उपलब्ध स्कूल/सार्वजनिक भवन का चिन्हीकरण	सचिव, पटवारी, शाला का प्रधानाध्यापक
6	स्थानीय स्तर पर उपलब्ध अन्य संसाधनों को तैयार रखना	सचिव, पटवारी, शाला का प्रधानाध्यापक

विलेज फायर की सूचना

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Singh
Designation : Additional Collector
And Additional District Magistrate
Date: 2025.06.13 18:12:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15919603

क्र. सं.	पूर्व तैयारी	उत्तरदायी अधिकारी
1	गांव में आग लगने की सूचना निकट तहसील, उप तहसील मुख्यालय तथा पुलिस स्टेशन को देना	पटवारी, सचिव
2	स्थानीय संसाधनों से अग्नि बुझाने का तात्कालिक प्राथमिक कार्य	ग्राम सेवक, सरपंच, स्थानीय पाठशाला का प्रधानाध्यापक एवं पटवारी

विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं हेतु उनके घटित होने के सम्भावित समय से पूर्व संबंधित एडवाईजरी जारी कर जन सम्पर्क कार्यालय के माध्यम से आम जनता को जागरूक करना।

किसी भी आपदा की पूर्व चेतावनी के लिये जिला/तहसील मुख्यालय पर कलक्ट्रेट, डीग में 24 X 7 ई.ओ.सी. स्थापित है, जिसका दूरभाष नम्बर 05641–294005।

क्र. सं.	नाम अधिकारी	पद	दूरभाष नम्बर		
			कार्यालय	निवास	मोबाईल
1	श्री अमित यादव	संभागीय आयुक्त	227977	234892	–
2	श्री कमल सिंह यादव	अति0 संभागीय आयुक्त	234894	234895	9413044400
क्र. सं.	**नाम अधिकारी**	**पद**	**दूरभाष नम्बर**		
			कार्यालय	**निवास**	**मोबाईल**
1	श्री उत्सव कौशल	जिला कलक्टर, डीग	294000		9024297734
2	श्री देवीसिंह (अति. कार्यभार)	अति0 जिला कलक्टर, डीग			8079058894
3	श्री देवी सिंह	उपखण्ड अधिकारी, डीग			8079058894
4	श्री मोहन सिंह	अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डीग			8005812873
5	श्री मुनीदेव यादव	डी0आई0जी0 स्टाम्प	222297	222972	9414580033
6	श्री रमेश चन्द्र	कुलसचिव [illegible]	270560		9810240532

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Singh
Designation : Additional Collector
And Additional District Magistrate
Date: 2025.06.13 18:12:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15919603

7	श्री कुलदीप सिंह	आयुक्त नगर परिषद			9828101029
8	श्रीमती अर्चना पिप्पल	उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास			9413159558
9	श्री भागूराम महला	जिला रसद अधिकारी			9602245047
10	श्री देवेन्द्र धवन	कोषाधिकारी डीग			9929929993
11	श्री कुलदीप सिंह	जिला समाज कल्याण अधिकारी			8005560688
12	श्री विजय सिंघल	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी			8619247554
13	श्री संजय जौहरी	उपनिदेशक, पर्यटन विभाग			9829224354
14	श्री मनोज खुराना	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) मा0			9414661398
15	श्री मनीष कुमार पाण्डे	सहा. जनसम्पर्क अधि.			8440015802
16	श्री दिलीप कुमार	प्राचार्य एम0ए0जे0 कॉलेज, डीग			8384947450
17	श्रीमती भावना यादव	उपनिदेशक, पशुपालन विभाग			9411027566
18	श्री मानस सिंह	उपवन संरक्षक, भरतपुर			9717340749
19	श्री मथुरा प्रसाद मीणा	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी			9468623777
20	श्री राकेश कुमार	आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग			9785372294
21	श्री रामवतार सिंह	सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉ डीग			9782272387

क्र. सं.	नाम अधिकारी	पद	दूरभाष नम्बर		
			कार्यालय	निवास	मोबाईल
1	श्री देवी सिंह	अति0 जिला कलक्टर,डीग (अति. कार्यभार)			8079058894
2	श्रीमती श्रेष्ठा श्री	उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर	241224	241425	9711101912

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Singh
Designation : Additional Collector
And Additional District Magistrate
Date: 2025.06.13 18:12:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15919603

3	श्री देवी सिंह	उपखण्ड अधिकारी,डीग	220018	230645	8079058894
4	श्री सर्वेश शर्मा	उपखण्ड अधिकारी,कामां	250496	250495	8949902868
5	श्री दुर्गाप्रसाद मीणा	उपखण्ड अधिकारी नगर	243053	243034	9414321451
6	श्रीमती सृष्टि जैन	उपखण्ड अधिकारी पहाडी	258040		9460619698
7	श्रीमती सृष्टि जैन	उपखण्ड अधि0 सीकरी			9460619698

क्र. सं.	नाम अधिकारी	पद	दूरभाष नम्बर		
			कार्यालय	निवास	मोबाईल
1	श्री नितेश गोयल (अति. कार्यभार)	तहसीलदार डीग			9414695749
2	श्री भरतलाल	तहसीलदार कुम्हेर	240572		7014902764
3	श्री रोहित मीणा	तहसीलदार नगर	242053		9717901797
4	श्री भरतदान	तहसीलदार कामॉ	250018		8058002700
5	श्री भरतदान	तहसीलदार पहाडी	258030		8058002700
6	श्री इन्द्राज गुर्जर	तहसीलदार सीकरी			9602695826
7	श्री संदीप जैन	तहसील जुरहरा			9461138963
8	श्री नितेश गोयल	तहसील जनूथर			9414695749
9	श्री रामेश्वरदयाल यादव	तहसील रारह			9461040391

क्र. सं.	नाम अधिकारी	पद	दूरभाष नम्बर		
			कार्यालय	निवास	मोबाईल
1	श्री मोहन सिंह	अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी			8005812873

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Singh
Designation : Additional Collector And Additional District Magistrate
Date: 2025.06.13 18:12:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15919603

2	श्री जतन सिह	पंचायत समिति, डीग	220021		9783322065
3	श्री रणवीर सिंह	पंचायत समिति, कुम्हेर	240619		9828119484
4	श्री मुरारीलाल गौतम	पंचायत समिति, नगर	242039		9549841751
5	श्री टीकमचंद मीणा	पंचायत समिति, कामां	250016		9887502984
6	श्री मुरारीलाल गौतम	पंचायत समिति, सीकरी	242039		9549841751
7	श्री विजय जैन	पंचायत समिति, पहाडी			9166020243

क्र. सं.	नाम	पद	दूरभाष नम्बर		
			कार्यालय	निवास	मोबाईल
1	श्री निरंजन टकसालिया	सभापति			9460453575
2	श्री मनोहर शर्मा	उपसभापति			9785503979
3	श्री कुलदीप सिंह	आयुक्त नगर परिषद			9828101029

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Singh
Designation : Additional Collector
And Additional District Magistrate
Date: 2025.06.13 18:12:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15919603